डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-13 , रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

04 सितबंर 2024, बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

'विष्णु राज' में हर घर का सपना हो रहा साकार

छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति को पक्का मकान देने के लक्ष्य की ओर विष्णु देव साय सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।

गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान की सुविधा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहली प्राथमिकता है। राज्य में 4 सितंबर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली है। इसमें एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बड़ी संख्या में आवास की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार होगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

प्रधानमंत्री आवास

8,46,931
ग्रामीण आवास की स्वीकृति

8,369
करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान

विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी मिल रहा पक्का मकान

प्रधानमंत्री जनमन ग्रामीण आवास योजना की बदलौत विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। उन्हें पक्का मकान मिल गया है,जिससे अब उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास के लिए पीवीटीजी हितग्राही को पक्के आवास बनाने के लिए 2 लाख रुपये की राशि शासन द्वारा 4 किश्तों में दी जा रही है। इसके साथ ही हितग्राहियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी का लाभ भी दिया जा रहा है।

पहली कैबिनेट में 18 लाख को मंजूरी

गरीब परिवारों के जीवन में घर की शक्ल में खुशहाली लाने के लिए सीएम ने संकल्प लिया था कि जब तक पीएम आवास से जुड़ी फाइल में दस्तखत नहीं कर देते सीएम आवास में दाखिल नहीं होंगे। 13 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण के बाद अगले दिन हुई पहली कैबिनेट में ही सीएम साय ने 18 लाख 12,743 गरीब परिवारों के घर से जुड़ी योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट में 3 हजार 799 करोड़ रुपए तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

> "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत लाखों परिवारों को अपने घर का सपना साकार होगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा ..."
>
> **श्री विष्णु देव साय,** मुख्यमंत्री,

ओलिंपिक में गोल्ड जीतने पर 3 करोड़ खिलाड़ियों को मिलेगी कई सौगात

खेल विभाग की ओर से पं. दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम रायपुर में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित अलंकरण में छत्तीसगढ़ के लिए 2021-22 और 2022-23 में हुए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतने वाले 97 खिलाड़ियों को अलंकृत किया गया। वहीं, 502 खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार मिला। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें तीन करोड़ रुपए देगी। वहीं, सिल्वर मेडलिस्ट को दो करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को एक करोड़ रुपए दिया जाएगा। राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार द्वारा खेल अवसंरचना विकसित की जा रही है।

सुपोषण से समृद्धि की राह पर बढ़ रहा छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 2 सितंबर को पोरा तिहार के अवसर पर सुपोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर पोषण माह का शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सुपोषण से स्वास्थ्य और समृद्धि के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। रविवार को प्रदेश में पोषण माह का उद्घाटन करते हुए सीएम साय ने महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सुपोषण रथ राज्य के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर लोगों को पोषण का संदेश देगा।

कुपोषण एवं एनीमिया जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गंभीर प्रयास किये जा रहें है। 52 हजार से अधिक आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, शिशुवती महिलाओं, 0 से 06 साल के बच्चें किशोरी बालिकाओं को पोषण सामग्री का वितरण किया जाता है।

52000 आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषण सामग्री का वितरण

जनजागरुकता का संदेश

इस रथ में सुपोषण पर केंद्रित फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा। सुपोषण रथ के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलो में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी ऑडियो, वीडियो संदेशों का प्रसारण किया जाएगा। कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त करने का संकल्प लेते हुए स्वयं भी सही पोषण व्यवहार को अपनाये

निःशुल्क राशन से खाद्य सुरक्षा

राज्य में 69.92 लाख गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक निशुल्क राशन दिए जाने का निर्णय भी खाद्य सुरक्षा व सुपोषण के लक्ष्य को साकार करेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले रेडी टू इट कार्य से एक बार फिर महिला समूहों को जोड़ा गया है। इससे महिला समूह भी सशक्त होंगी।

सीएम विष्णु भैया ने तीजा-पोरा पर किया 'महतारी वंदन'

छत्तीसगढ़ में 70 लाख महिलाओं को मिली महतारी वंदन योजना की सातवीं किश्त, तीजा-पोरा तिहार पर दोगुनी हुई खुशियां

इस बार छत्तीसगढ़ में तीजा और पोरा महिलाओं के लिए के लिए दोहरी ख़ुशी लेकर आया है। 02 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निवास पर तीजा और पोरा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम साय द्वारा महतारी वंदन योजना की सातवीं किश्त जारी की गई। योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को सातवीं किश्त के रूप में एक-एक हजार रुपये की राशि का कुल 653 करोड़ रुपये ऑनलाइन भुगतान किया गया। अब तक योजना के तहत 4578 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है। महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की नए आयाम गढ़ रही है

खुशहाली और समृद्धि

सातवीं किश्त जारी: 70 लाख महिलाओं को भुगतान

सातवीं किश्त की वितरण राशि: 653 करोड़ रुपये

अब तक का कुल भुगतान: 4578 करोड़ रुपये

महतारी वंदन योजना: मातृत्व का सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक, जिसने महिलाओं के जीवन में खुशहाली और समृद्धि की नई रोशनी बिखेरी।

तीजा - पोरा तिहार की धूम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने तीजा और पोरा तिहार की शुभकामनाएं दीं। तीजा तिहार सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है, जहां महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती हैं। पोरा तिहार किसानों और पशुपालन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पर्व है। मुख्यमंत्री निवास को तीजा-पोरा महतारी वंदन तिहार के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। इस अवसर पर पारंपरिक खेल जैसे फुगड़ी, कुर्सी दौड़ और रस्सी खींच का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फसलों का होगा डिजिटल सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय किसान होने के कारण कृषि क्षेत्र में उनकी विशेष समझ और संवेदनशीलता के चलते छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण पहल किए हैं। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत डिजिटल फसल सर्वेक्षण की शुरुआत भी इसी का परिणाम है। इस परियोजना के तहत राज्य में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे कृषि प्रबंधन में सुधार होगा। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के पायलट प्रोजेक्ट के लिए धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम जिलों का चयन किया है। यह परियोजना 9 सितंबर 2024 से शुरू होगी और 30 सितंबर तक पूरी होगी।

रोजगार सूचना

बीपीएनएल
पदः प्रशिक्षण प्रभारी व अन्य
पद संख्याः 3194
अंतिम तिथिः 08 सितंबर 2024
bharatiyapashupalan. com/

पावर ग्रिड कॉर्प्रोरेशन
पदः विभिन्न पद
पद संख्याः 1027
अंतिम तिथिः 9 सितंबर 2024
careers. powergrid.in

आईटीबीपी
पदः कॉन्सटेबल पायनियर
पद संख्याः 202
अंतिम तिथिः 10 सितंबर 2024
www.itbpolice.nic.in

इंडियन ओवरसीज बैंक
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 550
अंतिम तिथिः 10 सितंबर 2024
www.iob.in

आरआरसी
पदः ट्रेड अप्रेंटिस
पद संख्याः 4096
अंतिम तिथिः 16 सितंबर 2024
https://rrcnr.org/

यूनियन बैंक
पदः अप्रेंटिस
पद संख्याः 500
अंतिम तिथिः 17 सितंबर 2024
www.unionbankofindia.co.in/

आईटीबीपी
पदः हैड कॉन्स्टेबल ड्रेसर व अन्य
पद संख्याः 128
अंतिम तिथिः 29 सितंबर 2024
www.itbpolice.nic.in

रोजगार और नियोजन

प्रधान संपादक	: मयंक श्रीवास्तव
संपादक	: जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक	: गीतांजलि नेताम
संपादकीय सलाहकार	: अरविन्द मिश्रा
वितरण व्यवस्था	: मोहन मिश्रा, विक्रांत
संपादकीय सहयोग	: संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर	: धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर	: अंजुरानी, राकेश साहू

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

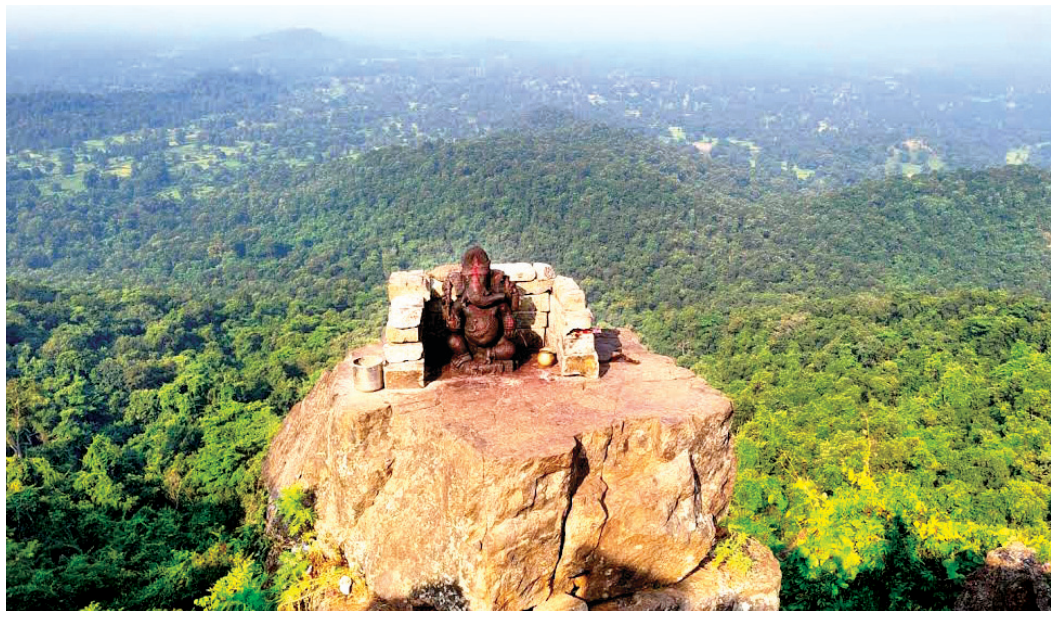

दंतेवाड़ा में ढोलकल की पहाड़ियों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर गणेश प्रतिमा लोगों के आस्था का केन्द्र है

छत्तीसगढ़ के गरीब छात्रों को मिलेगी उच्च शिक्षा की नई राह

नक्सल प्रभावित जिलों के विद्यार्थियों के लिए साय सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यहां के विद्यार्थियों को अब टेक्निकल और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए लोन सरकार देगी। इसके लिए किसी तरह का ब्याज नहीं देना होगा। वहीं दूसरे जिलों के विद्यार्थियों को ऐसे ही पाठ्यक्रमों के लिए 1% ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के मौके मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने निर्देश दिए हैं। अब मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना में 2 लाख से कम सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थी पात्र होंगे। इस स्कीम में 35 विषय को शामिल किया गया है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ब्याज मुक्त ऋण

- राज्य के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर जिले के विद्यार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।

ब्याज दर में राहत

- इस योजना के तहत, 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को मोरेटोरियम अवधि के बाद केवल एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। शेष ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा सीधे संबंधित बैंकों को चुकाई जाएगी, जिससे छात्रों की वित्तीय दबाव में कमी आएगी।

पात्रता की शर्तें:

- इस योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और उन्हें राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेशित होना आवश्यक है। छात्र की पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है। नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान करना अनिवार्य है।

इन पाठ्यक्रमों को मिलेगा फायदा

- योजना में बीई/बीटेक, एम.ई, एम.टेक, डी.आर्क, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमसीए, एम.बी.ए।
- डीई, बी.पी.एड, एमपीएड, पी.जी. डी.सी.ए., बी.एच.एम.एस., बी.ए.एम.एस, बी.एन.वाई.एस, बी.एन.एस., बी.यू.एम.एस, वी.एफ.एस.सी।
- बी.टेक डेयरी, बी.एग्री, बी.डी.एस, एमडीएस, एमबीबीएस, बीव्हीएससी, बीएससी नर्सिंग बेसिक तथा पोस्ट बेसिक, बी. फार्मा, एम फार्मा।
- डी फार्मा, डिप्लोमा इन मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इस कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग। बीएड, डीएड, एमएड जैसे कोर्स में फायदा मिलेगा।

ये है हेल्पलाइन नंबर

विद्यार्थी अपनी पात्रता और योजना के नियमों के लेकर विभागीय फोन नंबर पर बात कर सकते हैं। विभाग की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर 0771-2331331, और विभाग की वेबसाइट http://cgdteraipur.cgstate.gov.in है।

ITBP में हेड कांस्टेबल के 128 पदों पर भर्ती

इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस (ITBP) की ओर से कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटरिनरी और कांस्टेबल केनेलमैन के लिए 10वीं पास के साथ आईटीआई या पैरा वेटरिनरी कोर्स या वेटरनरी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा किया हो। न्यूनतम आयु सीमा 18 और अधिकतम आयु सीमा में पद अनुसार 25 से 27 निर्धारित की गई। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट recruitment. itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

रेलवे में 14298 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन

रेलवे में 14298 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। इसके आवेदन के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से कोई तारीख की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways. gov.in पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्कः कैंडिडेट को 500 फीस देनी होगी, इसमें से 400 सीबीटी टेस्ट के बाद वापस कर दिया जाएगा। आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स को 250 रुपए फीस देना होगा। यह सीबीटी टेस्ट में बैठने के बाद वापस कर दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यताः टेक्निशियन ग्रेड 1 के लिए बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दसवीं पास और आईटीआई सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवार। कैसे करें आवेदनः ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways. gov.in पर जाएं। फीस फॉर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं। जून के आगे दिए लिंक पर जाकर आवेदन करें। आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। आवेदन प्रक्रिया फीस जमा करने के बाद पूरी होगी।

आवास मित्र पद के लिए आवेदन 9 सितंबर तक

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को आवास मित्र, समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु,जनपद परिसर सारंगढ़ में 09 सितंबर 2024 तक आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किये गए हैं। वेबसाईट https://sarangarh- bilaigarh. cg.gov.in पर देखा जा सकता है तथा डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य जानकारी जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना कार्यालय जनपद पंचायत सारंगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है।

इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस के 550 पदों पर होगी भर्ती

इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस के 550 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हुआ है। इस नौकरी के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इंडियन ओवरसीज बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। कैसे करें आवेदनः ऑफिशियल वेबसाइट bfsissc. com पर जाएं। पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं। जोन के आगे दिए लिंक पर जाकर आवेदन करें। आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरे। आवेदन प्रक्रिया फीस जमा करने के बाद पूरी होगी। शैक्षणिक योग्यता : किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री। जिन उम्मीदवारों के पास यह डिग्री है। वे इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्कः आवेदन के लिए 472 से 944 रुपए देय है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bfsissc. com पर जाकर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु आवेदन

कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना कोण्डागांव-02 द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। सहायिका पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक का उसी ग्राम का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 18 से 44 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए परियोजना कार्यालय कोण्डागांव से संपर्क किया जा सकता है।

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार जिला-कोरबा (छ.ग.)

NAAC द्वारा बी ग्रेड प्राप्त

Email-ghephardibazar@gmail.com.Web.-ggbe.ac.in. AISHE Code-22343.Contact No. 9406035998

क्रमांक-536/2024 हरदीबाजार, दिनांक 27/08/2024

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/ आउशि/ राज स्था/2024 नवा रायपुर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग. शारान, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 3-54/स्था./2020/38-1, दिनांक 20.06.2024 एवं पत्र क्रमाक 77/ नि.स./स/उ.शि. नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के अनुसार शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.) में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 05.09.2024 को साथ 5:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथता वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः-

1. अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि क्रीडा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीडा सहायक के लिये स्नातकोत्तर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असम्पन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन वर्ग, अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोतर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।
2. आयु सीमा :- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि क्रीडा अधिकारी एवं क्रीडा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक ।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

क्रमांक	विषय	विषय/पदों का विवरण :-	
		प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक
1	गणित	0	1
	योग	0	1

टीपः- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल./पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 05.09.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन, पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 07.09.2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट www.ggbc.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 09.09.2024 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 11.09.2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	**300/-**
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/ (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	**500/-**	**350/-**
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	दैनिक मानदेय		
5	विवरण	क्रीडा अधिकारी	अतिथि क्रीड़ा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 1200/- प्रतिदिन (07 घंटा कार्य अवधि)	1600/-प्रतिदिन (40,000/- प्रतिमाह	1200/- प्रतिदिन 30,000/-प्रतिगाह अधिकतम)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य, शास० ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन कोड-495446 एवं आवेदित विषय /पद आवश्यक रुप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि क्रीड़ाधिकारी को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रभुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे ।

प्राचार्य
शास. ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार,
जिला- कोरबा (छ.ग.)

आर.ओ.03/जी-242502119.4

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
अटल नगर (छत्तीसगढ़)

website-tribal.cg.gov.in -2263708 Fax - 2262558 E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / अ०सं०/05 पार्ट-2/2024-25/5322 नवा रायपुर, दिनांक- 21/08/24

स्व० हाजी हसन अली पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए प्रविष्टियों आमंत्रित

उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी / कार्यरत् ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, जिसने प्रादेशिक स्तर पर उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो।

2/ सम्मान का स्वरूपः- यह पुरस्कार जूरी के निर्णयानुसार एक व्यक्ति को प्रदान किया जा सकेगा। पुरस्कार में राशि रू. 1.00 लाख नगद और प्रषस्ति पत्र प्रदान किया जावेगा।

3/ आवेदन/प्रविष्टियों भेजने की समयावधि :-

3.1 पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र / प्रविष्टियों बंद लिफाफे में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक द्वारा दिनांक 20.09.2024 समय शाम 5:00 बजे तक कार्यालय सचिव, छ.ग. राज्य उर्दू अकादमी पुराना आर.डी.ए. बिल्डींग के सामने रायपुर में प्रस्तुत किया जा सकता है, निर्धारित तिथि तथा समयावधि पश्चात् प्राप्त प्रविष्टियों/आवेदन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। डाक संबंधी विलम्ब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। /3.2 पुरस्कार के नियम कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर से निः शुल्क प्राप्त किये जा सकते है। /3.3 प्रविष्टियों / आवेदन पत्र लिफाफे पर "स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार वर्ष 2024 अंकित करना होगा। /4/ प्रविष्टियों/आवेदन के लिए मापदण्ड पुरस्कार के लिए प्रविष्टियों /आवेदन निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-

4.1 व्यक्ति का पूर्ण विवरण परिचय सहित।

4.2 उर्दू साहित्य के क्षेत्र में किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

4.3 यदि पूर्व में कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।

4.4 स्वरचित साहित्य की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

4.5 उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं, ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

4.6 यदि आवेदक शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है तो पूर्ण विवरण यथा पदनाम, कार्यरत् विभाग का नाम एवं कब से कार्यरत् है, स्पष्ट उल्लेख करें।

4.7 पुरस्कार के लिय चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति।

4.8 प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों / निष्कर्षों / प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा। इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा।

(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

कार्यालय-प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर
जिला बीजापुर (छ०ग०)

Email:-itiusoor@gmail.com Mo.No.- 7999941654

शुध्दि पत्रक

क्रमांक / औप्रस./स्था./मे.प्र./उसूर/2024 139 उसूर दिनाँक 29/08/2024

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था उसूर एवं भोपालपटनम में मेहमान प्रवक्ता भर्ती हेतु इस नोडल कार्यालय के विज्ञापन क्रमांक/औ.प्र.सं./स्था./मे.प्र.भर्ती/2024/119/उसूर दिनांक 24.07.2024 में जारी विज्ञप्ति प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 हेतू आवेदन आमंत्रित किया गया था। त्रुटिवश् प्रशिक्षण सत्र 2023-2024 अंकित हो गया हैं। जिसे प्रशिक्षण सत्र 2024-2025 पढ़ा जायें।

Advertsement MD-242501342

प्राचार्य
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बीजापुर
जिला-बीजापुर (छ.ग.)

आर.ओ.105/जी-242502113.4

कार्यालय, अस्पताल अधीक्षक
दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र
डी. के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.)

Email-dksacademic@gmail.com

(पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर से सम्बद्ध)

क्र./ 3809/ एकेडमिक/डी.के.एस./2024 रायपुर दिनांक 28/08/2024

प्रवेश सूचना सत्र 2024-2025

छत्तीसगढ़ शासन एवं प. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) से मान्यता प्राप्त 2% वर्षीय एम.एस.सी. रीनल साईंस एव डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2024-2025 एवं 3% वर्षीय बी.एस.सी. डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम सत्र 2024-2025 दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र डी. के.एस. भवन रायपुर (छ.ग.) में संचालित है। सत्र 2024-2025 में बी.एस.सी. डायलिसिस टेक्नोलॉजी की कुल सीटें 10 तथा एम.एस.सी. रीनल साईस एवं डायलिसिस टेक्नोलॉजी का कुल सीटें 10 है। ऑनलाईन आवेदन फार्म महावविद्यालय के वेबसाइट www.dkspgi में उपलब्ध है। फार्म का प्रिंटआउट निकालकर उसे भरकर समस्त दस्तावेजो का pdf बनाकर विभागीय Email-dksacademic@gmail.com के माध्यम से दिनांक-01/09/2024 समय 10.30 AM से दिनांक-30/09/2024 समय 5.30 PM बजे तक ऑनलाईन किया जाना है। जिसमे आवेदन फार्म का शुल्क 500/- रूपयें निर्धारित किया गया हैं। जिसको बैंक का नाम- पंजाब नेशनल बैंक खाता क्रमांक 09182191025121 खाता का नाम DIALYSIS TECHNOLOGY (B.S.C. & M.S.C. COURSE) आई.एफ.एस.सी. कोड PUNB0091810 में आर.टी.जी.एस. एवं एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से भुगतान किया जाना है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् कोई भी आवेदन मान्य नही किये जायेंगें। ऑनलाईन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी 'आवेदनकर्ता की होगी तथा त्रुटि होने पर काउसिंलिग में शामिल नहीं किया जावेगा ।

1- एम.एस.सी. रीनल साईंस एवं डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम
योग्यता :- बी.एस.सी. डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बी.एस.सी. नर्सिंग, एम.बी.बी.एस., बी.पी.टी., बी.. डी.एस. शिक्षण शुल्कः-45,000 रू

2- बी.एस.सी. डायलिसीस टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम

योग्यता :- हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (फिजिक्स, केमेस्ट्री एवं बायोलॉजी) शिक्षण शुल्कः-35,000 रु

नोटः- इस पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी महाविद्यालय के वेबसाइट www.dkspgi मे भी उपलब्ध है इसका अध्ययन कर आवेदन करे।

अस्पताल अधीक्षक एवं एकेडमिक इंचार्ज
डी. के.एस. पोस्ट ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट एंव रिसर्च सेन्टर
रायपुर (छ.ग.)

आर.ओ104/जी-242502092.3

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कबीरधाम छ.ग.

क्रमांक. / स्थापना अविज्ञप्त / सीधी भर्ती /2024/5673 कबीरधाम दिनांक 29 AUG 2024

//सूचना//

कार्यालीयन सूचना पत्र कमांक /स्था.अवि./सीधी भर्ती/2024/4988 कबीरधाम दिनांक 29.07.2024 के तहत ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, ड्रेसर ग्रेड 01 एवं ड्रेसर ग्रेड 02 के पदों की मेरिट सूची तथा संवर्ग वार सूची जारी किया गया था, कार्यालीयन सूचना पत्र कमांक /स्था. अवि./सीधी भर्ती/2024/5095 कबीरधाम दिनांक 01.08.2024 के तहत उक्त पदो की संवर्गवार सूची के आधार पर दिनांक 06 एवं 07 अगस्त 2024 को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था।

अतएव दस्तावेज सत्यापन उपरांत विभागीय चयन समिति का बैठक आयोजित किया गया। जिसमें विभागीय चयन समिति द्वारा दस्तावेज सत्यापन का परीक्षण कर प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण करते हुए अंतिम मेरिट सूची संवर्गवार की जानकारी जिले के वेबसाईट http://kawardha.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर अपलोड एवं कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कबीरधाम छ.ग.

आर.ओ.106/जी-242502124.4

कार्यालय प्राचार्य, उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग, छ.ग. (491001)

निःशक्तजन प्रशिक्षण परियोजना

कमांक / शापोदु/पीडब्लूडी-प्रवेश/2024 / 1898 दुर्ग, दिनांक 20.08 2024

निःशक्तजन (दिव्यांग) छात्रों का नियमित डिप्लोमा पाठ्यकम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सूचना सत्र 2024-2025

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा निःशक्तजन प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग में सत्र 2024-2025 में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की निम्नलिखित ब्रांच में प्रवेश हेतु पोलियोग्रस्त अथवा अस्थितबाधित (आर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड) निःशक्तजन छात्र/छात्राएं अपना निःशक्तता दर्शाने वाला प्रमाण पत्र (अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम, मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत कर निःशुल्क आवेदन पत्र संस्था के कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरकर वापस कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 10.09.2024 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन अमान्य होगा। कुल 25 सीटों में से 03 सीट अनुसूचित जाति, 08 सीट अनुसूचित जनजाति, 04 सीट ओबीसी (कीमीलेयर को छोड़कर) तथा शेष 10 सीट अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित है। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार का छ.ग. स्थाई जाति प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रवेश हेतु इस प्रवर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। उक्त सीटें नीचे लिखी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर भरी जाएगी। इस पाठ्यकम हेतु पृथक से आवेदन करना अनिवार्य है। कांउसिलिंग हेतु आवेदित छात्र/छात्राएँ दिनांक 10.09.2024 को प्रातः 12.00 बजे तक अपने समस्त मूल दस्तावेज तथा एक फोटो कापी के साथ संस्था के कक्ष कमांक 21 में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। ब्रांचवार रिक्त सीटों की संख्या सीटों का विवरण निम्नानुसार है :-

स.क.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	शैक्षणिक अर्हता
1	आधुनिक कार्यालय प्रबंध (मार्डन आफिस मैनेजमेंट)	3	डिप्लोमा मार्डन आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
2	सिविल इंजीनियरिंग	3	डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु (10+2) शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित एवं विज्ञान विषय के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
3	यांत्रिकी इंजीनियरिंग	3	
4	विद्युत इंजीनियरिंग	3	
5	इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग	3	
6	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	4	
7	इन्फरमेशन टेक्नॉलाजी	3	
8	धातुकर्म (मेटलर्जी) इंजीनियरिंग	3	
	योग	**25**	

टीपः- अधिक जानकारी तथा प्रवेश फार्म हेतु कृपया संस्था के वेबसाईट www.polydurg.ac.in का अवलोकन करें।

प्रचार्य
उ. प्र.उ. शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग (छ.ग.)

जनसम्पर्क संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर

चन्दूलाल चन्द्राकर और मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2024 के लिए प्रविष्टि/प्रस्ताव आमंत्रित (अंतिम तारीख 23 सितम्बर 2024)

छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय श्री चन्दूलाल चन्द्राकर और स्वर्गीय मधुकर खेर की स्मृति में राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए 'चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार' और 'मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की गयी है। ये पुरस्कार क्रमशः दो-दो पत्रकारों को दिए जाएंगे। इनमें से दो प्रिंट मीडिया से और दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होंगे। पुरस्कार के लिए वर्ष 2024 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इस पुरस्कार के अंतर्गत दो चयनित पत्रकारों को रूपए 50 हजार 50 हजार रूपए (रूपए पचास-पचास हजार) की सम्मान राशि दी जाएगी। इनमें से एक पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए तथा दूसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होगा। पुरस्कार हिंदी/छत्तीसगढ़ी में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के हिंदी/छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हों, के लिए होंगे।

मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इस पुरस्कार के अंतर्गत दो चयनित पत्रकारों को 50 हजार 50 हजार रूपए (रूपए पचास-पचास हजार) की सम्मान राशि दी जाएगी। इनमें से एक पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए और दूसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होगा। पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं अंग्रेजी भाषा में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय/राज्य स्तर के अंग्रेजी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो. के लिए होंगे।

पुरस्कार के लिए व्यक्ति स्वयं प्रविष्टि दे सकेगा अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के लिए किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र-पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संपादकीय प्रमुख अथवा छत्तीसगढ़/भारत का कोई भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार प्रस्तावक हो सकेगा।

प्रविष्टियां/प्रस्ताव पुरस्कार वर्ष के सितंबर माह के पूर्व वर्ष के 31 अगस्त से एक वर्ष के बीच किए गए रचनात्मक लेखन अथवा रिपोर्टिंग से संबंधित होने चाहिए। पुरस्कार हेतु विचारार्थ प्रविष्टि/प्रस्ताव किसी एक प्रकाशित/प्रसारित सामग्री की सत्यापित कतरन/सीडी/डीवीडी के रूप में छह प्रतियों में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पुरस्कार के लिए बताए गए तथ्य वास्तविक है।

पुरस्कार के लिए प्रविष्टि/प्रस्ताव 23 सितम्बर 2024 तक संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) 492002 के पते पर निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। प्रविष्टि से संबंधित सीलबंद लिफाफे के ऊपर 'चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2024' अथवा 'मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2024' स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त प्रविष्टियों/प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक संबंधी विलंब के लिए जनसम्पर्क संचालनालय उत्तरदायी नहीं होगा। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और आवेदन प्रारूप जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट www.dprcg.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

आर.ओ.110/ जी-242502248.10

"दानवीर भामाशाह सम्मान" वर्ष 2024 हेतु प्रविष्टि का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर दानशीलता, सौहार्द्र एवं अनुकरणीय सहायता प्रदान करने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति/संस्था को "दानवीर भामाशाह सम्मान प्रदान किया जाता है।

1. सम्मान का स्वरूप जायेगा। पुरस्कार में राशि रूपये 1.00 लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

2. चयन के लिए मापदण्ड :-

(i) व्यक्ति/संस्था छत्तीसगढ़ में निवासरत/कार्यरत हो।
(ii) व्यक्ति/संस्था का पिछला कार्य उत्कृष्ट हो और वर्तमान में भी निरंतर सक्रिय हो।
(ii) पुरस्कार हेतु ज्यूरी के सदस्यों की प्रविष्टियां मान्य नहीं होगी।
(iv) व्यक्ति/संस्था के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों कार्यों का आकलन होगा।
(v) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाएं अथवा इनमें कार्यरत शासकीय/अर्द्धशासकीय कर्मचारी सम्मान के पात्र नहीं होंगे।
(vi) दानवीर भामाशाह सम्मान हेतु पुरस्कृत संस्था/व्यक्ति आगामी 05 वर्षों के लिए पात्र नहीं होंगे।
(vii) संस्था/व्यक्ति को पिछले 05 वर्षों में दानशीलता के क्षेत्र में यदि कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो वह प्रविष्टि पुरस्कार के लिए मान्य नही होंगी।
(viii) शासन अथवा निर्णायक मण्डल को अन्य माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आवश्यकता अनुसार संबंधित जिले से अभिमत प्राप्त कर पुरस्कार हेतु निर्णय लिया जा सकेगा।
(ix) किसी संस्था/व्यक्ति की प्राप्त प्रविष्टि का चयन नहीं होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से संबंधित संस्था/व्यक्ति को मूल प्रविष्टि लौटायी जा सकती है।
(x) व्यक्ति/संस्था के निर्विवाद होने के बारे में जिला कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर ज्यूरी द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जायेगा।

3. प्रविष्टियां भेजने की समय अवधि एवं स्थानः- आवेदन पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2024 तक संबंधित जिले के संयुक्त/उप/सहायक संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण (छत्तीसगढ़) को प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. प्रविष्टियां निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत किये जावें :-

(1) व्यक्ति/संस्था का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता।
(ii) यदि व्यक्ति/संस्था की ओर से प्रस्तावक है तो उसका नाम एवं पता।
(iii) व्यक्ति/संस्था का संक्षिप्त परिचय।
(iv) दानशीलता एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण।
(v) अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।
(vi) उत्कृष्ट कार्यों के संबंध में प्रकाशन, प्रख्यात व्यक्तियों/पत्र-पत्रिकाओं द्वारा की गई टिप्पणी के प्रमाणक।
(v) निरंतर क्रियाशील एवं निर्विवाद होने के विषय में जिला कलेक्टर की अनुशंसा।
(vi) व्यक्ति/संस्था की प्रविष्टि के साथ पुरस्कार ग्रहण करने की लिखित सहमति एवं पासपोर्ट साइज में 03 फोटोग्राफ संलग्न करें।

संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ.107/जी-242502114.5

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सूचना

के औसुब में आरक्षक/ अगिन (पुरूष) की भर्ती-2024

ऑनलाईन आवेदन पत्रों के जमा करने की तारीख 31/08/2024 से 30/09/2024 अंतिम तारीख 30/09/2024 (समय 23.00 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पे लेवल-3, (21,700 - 69,100/-) में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर देय सामान्य भत्तों सहित, आरक्षक/अग्नि के निम्नलिखित अस्थायी पदों को भरने के लिए भारतीय पुरुष नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं. उनकी नियुक्ति होने पर, वे केऔसुब अधिनियम और नियम के साथ-साथ केन्द्रीय सिविल सेवा नियमावली तथा बल के अन्य सदस्यों के लिए समय-समय पर लागू अन्य अधिनियमों और नियमों द्वारा अधिशासित होंगे. नियुक्ति होने पर वे, 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू ''राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नामक परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली'' के अनुसार पेंशन के लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे. भर्ती प्रक्रिया में, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी), ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड, के अंतर्गत लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे. भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

1.1 आवेदन पत्रों को केवल ''**ऑनलाइन**'' माध्यम से स्वीकार किया जाएगा.

1.2 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी), लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी), विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई)/पुनर्विलोकन चिकित्सा परीक्षण (आरएमई) को निर्धारित और आयोजित किया जाएगा.

1.3 ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में होगी.

1.4 **अपेक्षित पात्रता मानदंड का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के माध्यम से दस्तावेज सत्यापन के समय किया जाएगा.**

1.5 **वे अभ्यर्थी जो पीईटी/पीएसटी/डीवी और लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) में शामिल होने के लिए उनकी छंटनी लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके राज्य/क्षेत्रवार और श्रेणीवार की जाएगी. डीएमई के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 02 (दो) गुना होगी.**

1.6 पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा के पूरा होने के बाद, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेष को आंवटित रिक्तियों के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंध में राज्यवार और श्रेणीवार मेरिट सूची अलग-अलग तैयार की जाएगी.

1.7 विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाएगा. इसके अलावा, आतंकवाद/नक्सल प्रभावित जिलों के लिए चिन्हित रिक्तियां केवल उन जिलों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं.

1.8 आतंकवाद/नक्सलवाद से प्रभावित जिलों की सूची अनुलग्नक-X पर उपलब्ध है.

1.9 चयनित किए गए अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए-VI.V/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाइल संख्या ई.-32012-एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाइल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित, द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण भर्ती के लिए समरूप दिशा-निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा.

1.10 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया पर अपडेट के लिए और परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट के अवलोकन करने की सलाह दी जाती है.

1.11 भर्ती के किसी चरण के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाना पद पर अंतिम चयन के रूप में नहीं माना जाएगा.

2. **वेतनमान :** पे-लेवल-3 (21,700-69,100 रु.)

3. **राष्ट्रीयता/नागरिकता :** अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए.

4. **रिक्तियां:-रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-**

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	क्षेत्र	अना. रक्षित	ई डब्ल्यू एस	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि.व.	कुल
1.	अंडमान एवं निकोबार	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
2.	आंध्र प्रदेश	संपूर्ण राज्य	11	3	4	2	7	**27**
		नक्सल/आतंकवाद	2	1	1	0	1	**5**
3.	अरूणाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	4	1	0	10	0	**15**
4.	असम	संपूर्ण राज्य	71	17	11	20	45	**164**
5.	बिहार	संपूर्ण राज्य	26	6	9	0	15	**56**
6.	चंडीगढ़	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
7.	छतीसगढ	संपूर्ण राज्य	6	1	2	4	1	**14**
		नक्सल/आतंकवाद	17	4	5	13	2	**41**
8.	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
9.	दिल्ली	संपूर्ण राज्य	4	1	1	1	2	**9**
10.	गोवा	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
11.	गुजरात	संपूर्ण राज्य	13	3	2	5	9	**32**
12.	हरियाणा	संपूर्ण राज्य	6	1	3	0	4	**14**
13.	हिमाचल प्रदेश	संपूर्ण राज्य	2	0	1	0	1	**4**
14.	जम्मू एवं कश्मीर	संपूर्ण राज्य	28	7	5	7	18	**65**
15.	झारखंड	संपूर्ण राज्य	7	2	2	5	2	**18**
		नक्सल/आतंकवाद	12	3	3	8	3	**29**
16.	कर्नाटक	संपूर्ण राज्य	13	4	5	2	9	**33**
17.	केरल	संपूर्ण राज्य	9	2	2	0	5	**18**
		नक्सल/आतंकवाद	8	2	5	0	4	**19**
18.	लद्दाख	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
19.	लक्षद्वीप	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
20.	मध्य प्रदेश	संपूर्ण राज्य	16	4	6	7	6	**39**
		नक्सल/आतंकवाद	7	2	3	3	2	**17**
21.	महाराष्ट्र	संपूर्ण राज्य	27	6	6	6	16	**61**
		नक्सल/आतंकवाद	5	1	1	1	3	**11**
22.	मणिपुर	संपूर्ण राज्य	7	1	0	6	2	**16**
23.	मेघालय	संपूर्ण राज्य	7	1	0	12	2	**22**
24.	मिजोरम	संपूर्ण राज्य	2	1	0	5	0	**8**
25.	नागालैंड	संपूर्ण राज्य	5	1	0	9	0	**15**
26.	ओड़िशा	संपूर्ण राज्य	9	3	3	5	3	**23**
		नक्सल/आतंकवाद	14	4	11	8	4	**41**
27.	पुदुचेरी	संपूर्ण राज्य	1	0	0	0	0	**1**
28.	पंजाब	संपूर्ण राज्य	6	2	4	0	3	**15**
29.	राजस्थान	संपूर्ण राज्य	15	4	6	5	7	**37**
30.	सिक्किम	संपूर्ण राज्य	0	0	0	0	0	**0**
31.	तमिलनाडु	संपूर्ण राज्य	17	4	7	0	11	**39**
32.	तेलंगाना	संपूर्ण राज्य	8	2	3	1	5	**19**
		नक्सल/आतंकवाद	2	1	2	0	2	**7**
33.	त्रिपुरा	संपूर्ण राज्य	8	2	3	13	0	**26**
34.	उत्तर प्रदेश	संपूर्ण राज्य	44	11	23	1	29	**108**
35.	उत्तराखंड	संपूर्ण राज्य	3	0	1	0	1	**5**
36.	पश्चिम बंगाल	संपूर्ण राज्य	20	5	11	2	11	**49**
		नक्सल/आतंकवाद	2	1	2	0	1	**6**
		कुल	**466**	**114**	**153**	**161**	**236**	**1130**

(संक्षिप्ताक्षर: यूआर - अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एससी - अनुसूचित जाति, एसटी - अनुसूचित जनजाति, ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग)

4.1 रिक्तियां संम्भावित हैं और प्रशासनिक कारणों से भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बढ़ अथवा घट सकती हैं. रिक्तियों की संख्या में कोई भी परिवर्तन सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर सूचित किया जाएगा.

4.2 10 प्रतिशत रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए आरक्षित हैं. यदि उपयुक्त ईएसएएम अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो ईएसएम के लिए आरक्षित रिक्तियां संबंधित श्रेणियों के गैर ईएसएम अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी.

4.3 चूंकि रिक्तियों को राज्यों/संघशासित प्रदेश के अनुसार चिन्हित किया गया है. अतएव अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के समय उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश का 'अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण पत्र' (पीआरसी) प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा. ऐसा न किए जाने पर उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी और उन्हें भर्ती के अगले चरण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी. यदि एक अभ्यर्थी इस आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य के द्वारा जारी अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण-पत्र (पीआरसी) प्रस्तुत करता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय राज्य में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी. इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र को बहुत ही सावधानी से भरना चाहिए.

4.4 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारत अथवा भारत से बाहर सेवा करनी पड़ सकती है.

4.5 पद वर्दीधारी हैं और ये पूर्णतः अस्थायी है परंतु इन्हें स्थायी किया जा सकता है.

4.6 अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के लिए वर्तमान सरकारी आदशों के अनुसार आरक्षण उपलब्ध है. किसी आरक्षित श्रेणी (ईडब्लूएस/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थी उस श्रेणी में रिक्ति की अनुपलब्धता के अधीन अनारक्षित श्रेणी (यूआर) में आवेदन कर सकते हैं बशर्ते अनारक्षित श्रेणी (यूआर) के लिए लागू नियम और शर्तें जैसेः- आयु, कद, सीना आदि को पूरा करते हों.

4.7 कोई प्रतीक्षा/आरक्षित सूची रखी/तैयार नहीं की जाएगी.

5. **शैक्षणिक अर्हता**

5.1 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले विज्ञान विषय के साथ मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

6. **आयु सीमा:**

6.1 **ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि (अर्थात 30.09.2024) को 18 से 23 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 01.10.2001 से पहले और 30.09.2006 के बाद नहीं होना चाहिए.**

6.2 **विभिन्न श्रेणियों के लिए उपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-**

क्र.सं.	श्रेणी	उपरी आयु सीमा के बाद अनुमत आयु छूट
i)	अ.जा./अ.ज.जा. (एससी/एसटी)	5 वर्ष
ii)	अ.पि.व. (ओबीसी)	3 वर्ष
iii)	भूतपूर्व सैनिक	गणना की तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के पश्चात् 3 वर्ष.
ii)	1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चे और आश्रित.	अनारक्षित/ईडब्लू एस - 5 वर्ष अ.पि.व. - 8 वर्ष अ.जा/अ.ज.जा - 10 वर्ष

क्रमश:

6.3 अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि केवल मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि और नाम को ही आयु और नाम निर्धारित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा. जन्म तिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के लिए किसी तदनुरूपी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

6.4 भूतपूर्व सैनिक अपने पुनः रोज़गार के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण के लाभों को लेने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के तहत सिविल साइड में पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट के पात्र नहीं हैं. तथापि, वे तदनुरूपी नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं यदि नागरिक नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत पश्चात उन्होंने संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों जिसके लिए उन्होंने डीओपीटी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (रेस) दिनांक 14.08.2014 में यथा उल्लिखित प्रारंभिक सिविल नियोजन में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन पत्रों के दिनांकवार विवरण के बारे में स्वघोषणा/वचनबद्धता प्रदान की हो.

6.5 सशस्त्र बल में एक भूतपूर्व सैनिक की ''कॉल अप सेवा' को आयु में छूट के प्रयोजन के लिए सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रुप में माना जाएगा.

6.6 संघ की तीनों सशस्त्र बलों में से किसी भी सेवा कर्मी को आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूर्व-सैनिक के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसे आवेदन जमा करते समय पहले से ही पूर्व-सैनिक की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए. उसे सक्षम प्राधिकरण से दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करके यह प्रमाणित करना होगा कि वह सशस्त्र बलों के साथ निर्धारित अवधि पूरी करेगा, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर होगी.

नोट-I वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वे इन पदों के लिए पात्र नहीं होगें और उन्हें इसके लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है.

7. **''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है;**

(i) 'जिसने भारतीय संघ की नियमित थलसेना, नौ सेना तथा वायु सेना के किसी भी रैंक चाहे वर्दीधारी अथवा गैर वर्दीधारी में सेवा की हो.

(a) जो उक्त सेवा से पेंशन प्राप्त होने पर नियोक्ता द्वारा या स्व अनुरोध पर ऐसी सेवा से कार्यभार मुक्त अथवा डिस्चार्ज कर दिया गया हो, **अथवा**

(b) जो रक्षा सेवा से चिकित्सा आधार पर अथवा ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर हों के कारण सेवा मुक्त हुए हैं और जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेन्शन दी गई हों, **अथवा**

(c) जो स्थापना में कमी होने के परिणाम स्वरूप ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों, अथवा;

(ii) जो ऐसी सेवा से अनुबंध की एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध करने के सिवाय ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किए गए हों अथवा कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किए गए हों और उनको उपदान दिया गया हो तथा इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सेना के कार्मिक नामतः निरन्तर सेवा वाले अथवा अनिरंतर अर्हक सेवा वाले पेंशनधारक भी शामिल हैं.

(iii) ''सेना डाक सेवा'' के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं तथा जो पेंशन सहित अपनी मूल सेवा में बिना प्रत्यावर्तन के सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं अथवा रक्षा सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से सेवामुक्त हुए हों अथवा विकृति होने पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो उसके नियंत्रण से बाहर हो के कारण तथा जिन्हें चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो.

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले 6 माह से अधिक की अवधि के लिए ''सेना डाक सेवा'' में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों.

(v) ''क्षेत्रीय सेना'' कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के शौर्य पुरस्कार विजेता.

(vi) चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए अथवा सेवामुक्त तथा चिकित्सा अशक्तता पेंशन प्राप्त.

(vii) संघ की सेनाओं में सेवारत कार्मिक, जो सेवा से सेवानिवृति के पश्चात् भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आएंगे, उन्हें अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने के एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी और वे भूतपूर्व सैनिक को उपलब्ध सभी छूटों का लाभ उठा पाएंगे. परन्तु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सेनाओं में अनुबंध की विशिष्ट शर्तों को पूरा न कर लें.

(viii) भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों/पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट/आरक्षण देय नहीं है। इसलिए, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए.

(a) **बच्चों से तात्पर्य :-**
पुत्र (गोद लिए गए पुत्र सहित) अथवा
पुत्री (गोद ली गई पुत्री सहित).

(b) **परिवार के आश्रित सदस्यों से तात्पर्य:**
पति अथवा पत्नी अथवा अविवाहित पीड़ित के मामले में बच्चे अथवा भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित पर दंगों में मारे जाने के समय पूर्णतया आश्रित थे वे पात्र होंगे. इस श्रेणी में उपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को संबंधित जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

(ix) **चिकित्सा श्रेणी:** सेवा से मुक्ति के समय "A" AYE अथवा 'SHAPE-1' होनी चाहिए.

(xi) **सेवा मुक्ति के समय चरित्र:** अनुकरणीय/बहुत अच्छा.

8. **प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्रों का प्रारूप:**

8.1 वे अभ्यर्थी जो आरक्षित रिक्तियों के अधीन आवेदन करना चाहते हैं अथवा जो आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय दस्तावेज सत्यापन के लिए मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा, अजा/अजजा/अपिव/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी. प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस अधिसूचना के साथ संलग्न किए गए हैं.

8.2 अभ्यर्थियों को उनके संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश में भर्ती हेतु, उनकी अधिवासी स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध अधिवासी/स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) के प्रस्तुत करने पर विचार किया जाएगा. ऐसा न कर पाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी. अधिवासी/पीआरसी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन प्रपत्र में दर्शाए गए राज्य/संघ शासित प्रदेश के होने चाहिए. ऐसा नहीं किए जाने पर उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी.

8.3 अभ्यर्थी के अधिवासी राज्य के अलावा जारी जाति प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा. जाति और अधिवासी प्रमाण पत्र उसी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए.

8.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी के पास एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने पर यह विकल्प रहेगा कि वे मूल राज्य में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं अथवा स्थानांतरित राज्य में अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में बैठना चाहते हैं. ऐसे विकल्प को अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में भरना होगा. ऐसे विकल्प को बदलने का अनुरोध आवेदन प्रपत्र को प्रस्तुत करने के पश्चात नहीं किया जाएगा. यदि एक अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण के लाभ लेने का विकल्प चुनता है तो उसे अपने आवेदन प्रपत्र में अपने मूल जिले एवं राज्य के साथ-साथ अपने वर्तमान अधिवास के जिले एवं राज्य को भी दर्शाना होगा और उसकी अभ्यर्थिता मूल राज्य से मानी जाएगी. ऐसे अभ्यर्थियों को मूल राज्य से अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवष्यकता नहीं होगी.

8.5 अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चत करना चाहिए कि वह जाति/समुदाय प्रमाण पत्र रखता है और वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36036/2/2013-स्था (रेस) दिनांक 30.05.2014 के अनुसरण में एक निर्णायक तिथि अर्थात् ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता है.

8.6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाह रहे अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास ''आय और परिसम्पति प्रमाण पत्र'' है जो कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वैध है और इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था (रेस) दिनांक 31.01.2019 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आय के आधार पर जारी किया गया है.

8.7 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का दावा करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी.

8.8 उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता के सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी. अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी यदि वे उनके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का धोखे से दावा करते हैं और अन्य लाभ लेना चाहते हैं.

8.9 चूंकि असम राज्य अधिवासी प्रमाण पत्र/स्थायी आवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) जारी नहीं करता है, असम राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों को उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों से उनकी आवासीय स्थिति के सत्यापन के अधीन होगा.

8.10 पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी (डब्ल्यूपीआर) जो कि जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में रह रहे हैं परंतु जिन्हे केन्द्र शासित प्रदेश के नागरिक का दर्जा नहीं दिया गया है, उन्हें जम्मू एवं कश्मीर राज्य और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेष के नामित प्राधिकारी से अधिवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना भर्ती किया जाएगा. तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों को **अनुलग्नक-VII** के अनुसार डब्ल्यूपीआर के लिए जन्म/पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा.

9. **आवेदन कैसे करें:-**

9.1 आवेदन पत्रों को केऔसुब की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर ऑनलाइन तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए. विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस सूचना के **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** को देखें. **'एक बार पंजीकरण' के नमूना प्रपत्र और ऑनलाइन 'आवेदन प्रपत्र'** क्रमशः **अनुलनक-I** और **अनुलनक-II** के रूप में संलग्न हैं. आवेदन का कोई अन्य तरीका अनुमत नहीं है.

9.2 **ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित होगा:-**

- फोटोग्राफ अपलोड करना - जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं हो). फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए. जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे. धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे.
- हस्ताक्षर अपलोड करना - जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी). हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.
- **दस्तावेजों को अपलोड करना** – अभ्यर्थी को अपनी आयु और शैक्षणिक अर्हता (अर्थात मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र) के संबंध में संगत दस्तावेजों (पीडीएफ प्रारूप) की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करना अपेक्षित होगा. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र के अलावा अन्य दस्तावेजों को अपलोड करना या दूसरों के दस्तावेजों को अपलोड करना पूर्णतः खारिज कर दिया जाएगा.

9.3 **ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.09.2024 (सायं 23:00 बजे) है.**

9.4 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और उन्हें अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग इन न होना अथवा लॉग इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार नही करना चाहिए.

9.5 ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक भाग में सही विवरण भरे हैं.

9.6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर ही भरें क्योंकि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचना ई मेल अथवा एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी.

9.7 अभ्यर्थी को केवल एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति है. इसलिए अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय उचित ध्यान रखना चाहिए. यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन प्रपत्र भरता है तो उसके द्वारा सबसे पहले भरे गए प्रपत्र को मान्य किया जाएगा और उसके बाद के सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

9.8 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में मुद्रित तिथि के साथ स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर अपलोड करें, जो तीन महीने से अधिक पुरानी न हो.

10. **आवेदन शुल्क:**

10.1 **देय शुल्क:** रुपए 100/- (रुपए एक सौ मात्र)

10.2 आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है.

10.3 शुल्क को डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डो और यूपीआई का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है. उपरोक्त दर्शाए गए माध्यमों के अलावा भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

10.4 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान 30.09.2024 (23:00 बजे) तक किया जा सकता है. तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में 02.10.2024 तक नकद रूप में कर सकते है, बशर्ते उनके द्वारा चालान 30.09.2024 (23:00 बजे) से पहले जेनरेट कर दिया गया हो.

10.5 एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा.

10.6 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और पूर्णतः खारिज कर दिया जाएगा. इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए, जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा, कि उनका शुल्क जमा कर दिया गया है.

10.7 भुगतान से संबंधित सेवा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जाएगा.

11 **आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो (10.10.2024 से 12.10.2024) 23:00 बजे**

11.1 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, सीआईएसएफ अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही/संशोधित करने के लिए 3 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित सुधार/परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी.

11.2 एक अभ्यर्थी को **'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो'** के दौरान अपने आवेदन को केवल एक बार संशोधित/सही करने और फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी. किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्र में कोई और सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी.

क्रमशः

11.3 केवल उन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पूर्ण ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, जो भी लागू हो, निर्दिष्ट अवधि के भीतर सीआईएसएफ द्वारा प्राप्त किए गए हैं.

11.4 सीआईएसएफ आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए 200 रुपये का एक समान सुधार शुल्क लगाएगा. सुधार शुल्क सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा चाहे उनकी श्रेणी कोई भी हो.

11.5 सुधार शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट या क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का उपयोग करके किया जा सकता है.

11.6 एक बार भुगतान किए गए सुधार शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के खिलाफ समायोजित किया जाएगा.

11.7 आवेदन सुधार शुल्क की प्राप्ति के बाद, नवीनतम संशोधित/सही आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पिछले आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे.

11.8 यदि लागू सुधार शुल्क सीआईएसएफ को समय से प्राप्त नहीं होता है, तो केवल पहले से जमा किया गया आवेदन ही वैध माना जाएगा.

11.9 सुधार किया हुआ आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह जांचना होगा कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है. आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ इत्यादि पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे पूर्णत खारिज कर दिया जाएगा.

12. परीक्षा में प्रवेश:

12.1 वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के जवाब में अंतिम तिथि और समय तक आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें पीईटी/पीएसटी/दस्तावेज सत्यापन में बुलाने के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे. तदनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले चरणों के लिए ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे.

12.2 भर्ती के किसी भी चरण के लिए एडमिट कार्ड अंतिम चयन के रुप में नहीं माना जाएगा.

12.3 विभाग दस्तावेज सत्यापन के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जांच करेगा. इस प्रकार, अंतिम चयन तक अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की जांच कर लेनी चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं. यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.

12.4 पद के लिए अंतिम चयन लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आबंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर होगा, जो शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा की सूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त करने के अधीन होगा.

12.5 परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन तरीके से सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** के माध्यम से जारी किए जाएंगे और डाक द्वारा नहीं भेजे जाएंगे. अभ्यर्थियों को इसलिए सलाह दी जाती है कि वे सीआईएसएफ की वेबसाइट को नियमित रूप से विजिट करते रहें जिससे उन्हें भर्ती प्रक्रिया पर अपडेट मिलता रहे.

12.6 अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपने नाम, जन्म तिथि और परीक्षा के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अवश्य लिखना चाहिए. इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा.

12.7 दस्तावेज सत्यापन/पीईटी/पीएसटी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर अग्रिम उपलब्ध करवा दिया जाएगा. अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल/भर्ती केंद्र पर ई-प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा.

12.8 वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में, अभ्यर्थियों को पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) या डीएमई/आरएमई, जो भी चरण लागू हो, से कम से कम एक सप्ताह पहले सीआईएसएफ से संपर्क करना चाहिए. एडमिट कार्ड प्राप्त न होने की स्थिति में अभ्यर्थी सीआईएसएफ हेल्पलाइन नंबर 011-24366431/24307933 (केवल कार्य दिवसों में 1000 से 1800 बजे) पर संपर्क कर सकते हैं.

12.9 प्रवेश पत्र के अलावा दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो वाले पहचान पत्र की भली भांति प्रिंट की गई प्रतियां पहचान के उद्देश्य के लिए लानी होंगी.

12.10 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी पहचान के लिए अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएससी/आईसीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा. प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

12.11 ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य कोई दस्तावेज भी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के समय लाना होगा.

13 भर्ती प्रक्रिया:-

13.1 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी)/दस्तावेज सत्यापन (डीवी): सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के अनुरूप अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और सही पाए जाते हैं उन्हें पीईटी/पीएसटी/डीवी में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा. शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी. अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय की जाएगी. इसलिए, पीईटी/पीएसटी/डीवी के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह ज़िम्मेदारी होगी कि वे इस नोटिस में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें. जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं, उन्हें पीएसटी से पहले पीईटी (दौड़) के बाद बायोमेट्रिक पंजीकरण (बाएं अंगूठे का निशान (एलटीआई)/दाहिने अंगूठे का निशान (आरटीआई)/उंगलियों का निशान) से गुजरना होगा. पीईटी (दौड़) उत्तीर्ण करने के बाद और पीईटी/पीएसटी/डीवी बोर्डों द्वारा पीएसटी से पहले किसी भी छूट अर्थात् आयु, कद और सीना माप के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जाएगी. पीएसटी में कद, सीना और वजन का माप शामिल होगा. अभ्यर्थी की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच पीएसटी के बाद की जाएगी.

13.1.1 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को पीईटी से छुट होगी. तथापि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को केवल कद, सीना और वजन के माप की रिकार्डिंग के लिए पीएसटी में शामिल होना होगा. पीएसटी माप के आधार पर उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है. भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए पीईटी आयोजित नहीं की जाएगी. तथापि, उन्हें चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी.

13.1.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी): अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पुरी करनी होगा.

13.1.3 शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) - वे अभ्यर्थी जो हाईट बार परीक्षा और पीईटी (दौड़) में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा कद, सीना और वजन के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी. पद के लिए शारीरिक मानक निम्नानुसार हैं:-

i) कद -170 सेमी.		
ii) सीना - 80-85 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)		
iii) अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए शारीरिक मानकों में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-		
निम्नलिखित हेतु छूट	**कद**	**सीना**
क) गढ़वाल, कुमाउं, हिमाचल प्रदेश, ''गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर की कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थी.	165 सेमी	78-83 सेमी (न्यूनतम फुलाव 5 सेमी)
**दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौउज़ा'' उप प्रभाग शामिल हैं:- (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक पहाड़ी जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पेंगा (18) नाईपेनिया.		
ख) मिजो और नागा सहित ट्राइबल अथवा आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी.	162.5 सेमी.	77-82 सेमी (05 सेमी के न्यूनतम फुलाव)

13.1.4 अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऊपर उल्लिखित कद और सीना (जैसा भी मामला हो) में छूट केवल सक्षम प्राधिकारियों से अनुलग्नक-VI में निर्धारित प्रोफॉर्मा में पीईटी/पीएसटी/डीवी के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार्य होगी. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ उठा सकते हैं.

13.1.5 जिन अभ्यार्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित किया जाता है, वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो, पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र के लिए नामित अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं. अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. पीईटी (दौड़) के लिए कोई अपील नहीं होगी.

13.1.6 पीईटी/पीएसटी में कोई अंक नहीं होगे लेकिन यह क्वालीफाईग प्रकृति का होगा.

13.1.7 भार: चिकित्सा मानकों के अनुसार कद और भार के अनुपात में होगा. शारीरिक माप के समय भार दर्ज किया जाएगा लेकिन भार के कारण फिटनेस पर निर्णय चिकित्सा परीक्षण के दौरान ही लिया जाएगा.

13.1.8 दस्तावेज सत्यापन:-

पीईटी/पीएसटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. जो अभ्यार्थी अपेक्षित मुल विवरण/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेगे. उन्हे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमति नहीं दी जाएगी. अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए निम्नलिखित मूल दस्तावेज लाने होंगे.

1) मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र उम्र, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए.
2) यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो आवश्यक अर्हताओं में समकक्ष खंड के संबंध में दावा किए गए प्राधिकारी (संख्या और तारीख के साथ) को इंगित करते हुए दावा किया गया आदेश/पत्र.
3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र/स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी).
4) आरक्षण/आयु में छूट की मांग करने वाले उम्मीदवारों से नोटिस के **अनुलग्नक - III , अनुलग्नक - IV** और **अनुलग्नक -V** में निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (जैसा लागू हो).
5) उन उम्मीदवारों से प्रमाण पत्र जो नोटिस के **अनुलग्नक -VI** में निर्धारित कद/छाती माप में छूट का लाभ उठाना चाहते हैं.
6) इस अधिसूचना के पैरा -6.2 के तहत श्रेणी (**iv**) में उल्लिखित दंगा पीड़ितों के आश्रित आवेदकों के संबंध में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र.
7) पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी द्वारा पैदाइस/पहचान प्रमाण पत्र नोटिस के **अनुलग्नक-VII** के निर्धारित फॉर्मेट में.
8) सेवारत रक्षा क्रर्मी **अनुलग्नक-VIII** में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण पत्र.
9) पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों से **अनुलग्नक-IX** में निर्धारित प्रारूप में वचनबद्धता.
10) अभ्यर्थियों के दो पासपोर्ट आकार के हाल के फोटो और एक फोटो जिसमें पहचान प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई फोटो आईडी कार्ड हो.
11) यह पुनः दोहराया जाता है कि शिक्षा/जाति/भूतपूर्व सैनिक/श्रेणी आदि के प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की जांच के बाद, यदि आवेदन में किए गए किसी दावे का दस्तावेज सत्यापन के समय या भर्ती के किसी भी चरण में प्रमाण पत्र/दस्तावेजों द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.

13.2 ओएमआर/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा:-

13.2.1 पीईटी/पीएसटी/डीवी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत होने वाली लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. लिखित परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पश्न-पत्र होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी:-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि/समय सीमा
भाग-ए	सामान्य बुद्धिमता और तर्कशक्ति	25	25	120 मिनट
भाग-बी	सामान्य ज्ञान और जागरूकता	25	25	
भाग-सी	प्रारंभिक गणित	25	25	
भाग-डी	अंग्रेजी/हिंदी	25	25	

13.2.2 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे. लिखित परीक्षा केवल ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में आयोजित की जाएगी. कोई नाकारात्मक अंकन नहीं होगा.

13.2.3 परीक्षा की तिथियों की सूचना अभ्यर्थियों को केवल सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** के माध्यम से दी जाएगी.

13.2.4 अंकों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जाँच का कोई प्रावधान नहीं होगा. इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

13.2.5 लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) की संभावित उत्तर कुंजी लिखित परीक्षा के बाद सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर प्रदर्शित की जाएगी. अभ्यर्थी उत्तर कुंजी देख सकते है और प्रति प्रश्न 100 रुपये के भुगतान पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते है. किसी अन्य मोड जैसे पत्र, आवेदन आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. उत्तर कुंजी को अंतिम रुप देने से पहले विशेषज्ञों के पैनल द्वारा उत्तर कुंजी के बारे में अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और इस संबंध में विशेषज्ञों का निर्णय अंतिम होगा.

क्रमशः

13.2.6 लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) के प्रश्न 12वीं कक्षा (विज्ञान विषय) के स्तर के होंगे.

13.2.7 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में कैलकुलेटर और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल/लैब के अंदर इनको नहीं लाना चाहिए.

13.2.8 यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या दो से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और इस तरह से प्राप्त सामान्यीकृत अंको का उपयोग अंतिम योग्यता और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा.

13.2.9 सभी अभ्यर्थियों की पहचान लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) से पहले पीईटी/पीएसटी/डीवी के समय पंजीकृत बायोमेट्रिक प्रामाणिकताओं (क्रेडेंशियल्स) के साथ सत्यापित की जाएगी.

13.3 **चिकित्सा परीक्षा:**- पीईटी/पीएसटी/डीवी और लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार के तहत विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) हेतु चयनित किया जाएगा. विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 02 (दो) गुना होगी. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाइल संख्या ई. -32012-एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाइल)/1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी.

टैटू:- टैटू की अनुमति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैं:-

(क) विषय-वस्तु:- एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस प्रकार धार्मिक प्रतीकों या आकृतियों और नाम को दर्शाने वाले टैटू की अनुमति दी जानी चाहिए जैसा की भारतीय सेना में अनुसरण किया जाता है.

(ख) स्थान:- शरीर के पारंपरिक स्थलों पर चिह्नित टैटू जैसे कि प्रकोष्ठ का आंतरिक पहलू, लेकिन केवल बाएं अग्रभाग, गैर-सलामी अंग या हाथों के पीछे होने की अनुमति है.

(ग) आकार:- टैटू का आकार शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) के 1/4 से कम होना चाहिए.

14. **चयन का तरीका:**

14.1 भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी), शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और ओएमआर/कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड के तहत लिखित परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा (डीएमई/आरएमई) शामिल होगी.

14.2 लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त करने तथा अगले चरण में प्रवेश हेतु अंकों का न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगा:

अना./ईडब्ल्यूएस/भू.पू.सैनिक : 35%

अजा./अजजा./अपवि. : 33%

नोट-1 अर्हक अंक का अर्थ है कि योग्यता अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए नहीं बुलाया जाएगा, भले ही रिक्तियां अधूरी रह जाएं. अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में योग्यता के आधार पर और प्रत्येक राज्य/श्रेणी को आबंटित रिक्ति के अनुसार के कट ऑफ अंक के आधार पर अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा.

नोट-2 यदि लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) दो या दो से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और इस तरह से प्राप्त सामान्यीकृत अकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट ऑफअंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा.

14.3 मैरिट लिस्ट:- पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशं को आबंटित रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में राज्य और श्रेणीवार मेरिट सूची अर्थात् अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम को अलग से तैयार की जाएगी.

14.3.1 बराबरी (टाई) के मामलों का निष्पादन: लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अभ्यर्थियों के अंकों में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का समाधान दिए गए क्रम में एक के बाद एक, जब तक की टाई का समाधान नहीं हो जाता, तब तक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके हल किया जाएगा:

1 बड़ी उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;

2 आगे यदि कोई टाई हो तो, अभ्यर्थी के कद की तुलना करके हल किया जाएगा अर्थात् कद में लम्बे अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी;

3 यदि मामला अभी भी अनसुलझा रहता है, तो इसे अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता द्वारा हल किया जाएगा अर्थात ज्यादा शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को वरीयता मिलेगी; **और**

4 यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो इसे नामों के वर्णानुक्रमिक क्रम का हवाला देकर हल किया जाएगा अर्थात जिस अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वर्णानुक्रम में पहले आता है, उसे वरीयता मिलेगी.

14.3.2 अभ्यर्थियों को एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की रिक्तियों के लिए और इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारियों और दस्तावेज सत्यापन के समय अधिवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा. अभ्यर्थियों को बहुत सावधान रहना चाहिए और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवासी राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय उचित अभ्यास करना चाहिए. आवेदन पत्र जमा करने के बाद अधिवासी राज्य और जिले के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन के समय उसके द्वारा जमा किए गए अधिवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और/या राज्य में कोई भिन्नता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उसे भर्ती परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

14.3.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो अन्य समुदायों के अभ्यर्थियों के साथ-साथ बिना किसी छूट के अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें समग्र मेरिट सूची में उनकी स्थिति के अनुसार रिक्तियों की आरक्षित संख्या के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा. आरक्षित रिक्तियों को पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों में से अलग से भरा जाएगा.

14.3.4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो छूट मानकों जैसे आयु सीमा, कद और सीना माप, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रदान की गई संख्या से अधिक अंक आदि, के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी योग्यता स्थिति के बावजूद ऐसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आरक्षित रिक्तियों के प्रति गिना जाना है. जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, पूर्व सैनिकों की आयु में से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए अनुमत है और इस तरह की छूट को उम्र के संबंध में छूट मानकों के रूप में नहीं माना जाएगा.

14.3.5 अंतिम परिणाम सीआईएसएफ भर्ती वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा.

नोट-I परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए. कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा, बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों. यदि, सत्यापन पर, पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा से पहले, उसके दौरान या बाद में किसी भी समय, यह पाया जाता है कि वे पात्रता शर्तों में से किसी को भी पूरा नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता विभाग द्वारा तत्काल रद्द कर दी जाएगी.

नोट-II यदि कोई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान या बाद में किसी भी समय अयोग्य पाया जाता है या तथ्यों को छिपाता हुआ पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी.

14.3.6 चिकित्सा परीक्षा:- पीईटी/पीएसटी/डीवी और लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में राज्यवार/क्षेत्रवार और श्रेणीवार के तहत विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) हेतु चयनित किया जाएगा. विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित रिक्तियों की संख्या का लगभग 02 (दो) गुना होगी. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाइल संख्या ई. -32012-एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाइल)/1/1166 दिनांक 31.05.2021 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशानिर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी.

15 **निर्णय:** पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका (पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षण) मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.

16. **अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण निर्देश:**

16.1 आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए.

16.2 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम तिथि से पहले के दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/अक्षमता या विफलता की संभावना से बचा जा सके.

16.3 मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन पी ई टी/पी एस टी के समय किया जाएगा. इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी. आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों आदि की आवश्यकताओं को जांच ले और खुद को संतुष्ट कर ले कि वे पद के लिए पात्र हैं. दस्तावेज़ सत्यापन के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी.

16.4 इस परीक्षा के नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/ईएसएम या अन्य छूट जैसे आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस तरह के आरक्षण/छूट के हकदार हैं. जब प्रमाणपत्रों की प्रतियां मांगी जाएंगी, तो उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में संबंधित मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए.

16.5 एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति से संबंधित अभ्यर्थी को एक सूचित विकल्प बनाना होगा कि मूल राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है या प्रवास के राज्य से अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में उपस्थित होना है. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इस तरह के विकल्प का प्रयोग करना होगा. आवेदन पत्र जमा करने के बाद ऐसे विकल्प में परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. यदि अभ्यर्थी मूल राज्य से आरक्षण का लाभ लेने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें आवेदन पत्र में वर्तमान अधिवास के जिले और राज्य के साथ-साथ अपने मूल जिले और राज्य के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी. ऐसे मामलों में उनकी अभ्यर्थिता पर मूल राज्य से विचार किया जाएगा.

16.6 दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं.

16.7 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि महत्वपूर्ण पत्राचार ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है.

16.8 **देय शुल्क:** 100/- रुपये (केवल एक सौ रुपये). आरक्षण के लिए योग्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के पात्र अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है.

16.9 अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम अपनी दसवीं के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार लिखें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता दस्तावेजों की जांच के बाद या फिर जब कभी नोटिस में आएगा तो रद्द कर दी जाएगी.

16.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों को दिनांकित फोटोग्राफ (इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 03 महीने से अधिक पुराना नहीं), हस्ताक्षर और आयु और शैक्षिक योग्यता (अर्थात् मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाणपत्र) के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी आवश्यक हैं.

16.11 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिवासी राज्य और जिले के बारे में जानकारी प्रदान करते समय अभ्यार्थियों को सावधानी बरतनी चाहिए. आवेदन पत्र जमा करने के बाद अधिवासी राज्य और जिले के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय उनके द्वारा जमा किए गए अधिवासी प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उल्लिखित जिले और/या राज्य में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उनकी अभ्यर्थिता तुरंत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें आगे की भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

16.12 परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अनुमति है. इसलिए, अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए. यदि किसी अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो पहला आवेदन मान्य होगा और उसके बाद के सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.

16.13 धुंधली अथवा अस्पष्ट तस्वीर/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा.

क्रमशः

16.14 अधूरी जानकारी/गलत जानकारी/ अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों की गलत प्रस्तुति/अहस्ताक्षरित/जहां देय हो, शुल्क के बिना प्रस्तुत किए गए आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा.

16.15 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह जांच लेना चाहिए कि फॉर्म के प्रत्येक क्षेत्र में सही विवरण भरा है.

16.16 जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार माना जाएगा. अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए. 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है.

16.17 अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार के हाल के रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचान प्रमाणपत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ईएसएम डिस्चार्ज बुक या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला पहचान पत्र पहचान के उद्देश्य के लिए परीक्षा स्थल पर लाना चाहिए. यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र लाना होगा. प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/ प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में समिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

16.18 किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़ंत आवेदन/पंजीकरण के मामले में, अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.

16.19 विभाग के पास विज्ञापन में कोई भी बदलाव करने या बिना कोई कारण बताए इसे रद्द करने का अधिकार है. इसके अतिरिक्त, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं.

16.20 अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे. ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा. अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे.

16.21 यदि कोई अभ्यर्थी जानबूझकर सिर में चोट (उभार/सूजन) बनाता है या ऊंचाई का लाभ लेने के लिए अपने सिर पर पगड़ी पहनता है, तो ऐसे उम्मीदवार को भर्ती की आगे की प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा.

16.22 पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी), डीएमई/आरएमई के लिए प्रवेश पत्र सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर जारी/अपलोड किए जाएंगे. परीक्षा के किसी भी चरण के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा. इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से सीआईएसएफ की वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** देखें.

16.23 यदि कोई अभ्यर्थी पीएसटी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/सहमत नहीं है, तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है. अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में किसी भी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. पीईटी (दौड़) के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी.

16.24 यदि कोई अभ्यर्थी पीईटी के दौरान किसी शक्तिवर्धक दवा/ड्रग आदि के प्रभाव में पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी.

16.25 अभ्यर्थी किसी भी जानकारी के लिए, जैसे आवेदन भरने, पीईटी/पीएसटी/डीवी, लिखित परीक्षा (ओएमआर/सीबीटी) और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, यदि कोई है तो, केऔसुब के हेल्प लाइन नंबर 011- 24366431/24307933 (केवल कार्य दिवसों पर समय 1000 से 1800 बजे तक) पर संपर्क कर सकते हैं.

16.26 भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 2 से 3 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए. यात्रा और ठहरने के लिए कोई भी टीए/डीए देय नहीं होगा.

16.27 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. परीक्षा के सभी चरणों में प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों. यदि सत्यापन के समय, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के पहले या बाद में या नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने/बल में शामिल होने के बाद भी, यह पाया जाता है कि वे किसी भी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता/पद के लिए चयन रद्द कर दिया जाएगा.

16.28 परीक्षा में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती जब तक की विभाग अनिवार्य समझी जाने वाली ऐसी जांच के बाद संतुष्ट ना हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है.

16.29 यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है तो उनकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी.

16.30 यदि कोई भी अभ्यर्थी भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वे उपयुक्त कानूनी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगें.

16.31 सीआईएसएफ का प्रयास पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थियों की भर्ती करना है. इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे 'दलालों से सावधान रहें'.

अनुलग्नक-I

(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

01. **परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:**

i. एक बार पंजीकरण

ii. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना

02. **भाग -1 (एक बार पंजीकरण):** - अभ्यर्थी के लिए एक बार पंजीकरण एक स्थायी डेटाबेस होगा. सीआईएसएफ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा. ऑनलाइन 'पंजीकरण फॉर्म' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. एक बार पंजीकरण के साथ आगे बढ़ने से पहले, निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज तैयार रखें:

क. मोबाइल नंबर

ख. ईमेल आईडी

03. **पहली बार पंजीकरण कैसे करें:-**

- सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट **https://cisfrectt.cisf.gov.in** पर लॉगिन करें.
- होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा. 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें.
- नया पेज प्रदर्शित होगा. 'नया पंजीकरण' बटन पर क्लिक करें.

04. **'एक बार पंजीकरण फॉर्म'** भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

- कुछ महत्वपूर्ण विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या आदि) को पंजीकरण फॉर्म के प्रासंगिक कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके. यदि मूल और सत्यापित डेटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नही है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक संकेत दिया जाएगा.
- अपना नाम ठीक वैसे ही भरें, जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में हैं. यदि, मैट्रिक के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें.
- अपने पिता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दिया गया है.
- अपनी माता का नाम ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) के प्रमाण पत्र में दिया गया है.
- अपनी जन्मतिथि ठीक वैसे ही भरें जैसे मैट्रिक (10 वीं कक्षा) प्रमाणपत्र में दी गई है.
- अपने लिंग के बारे में जानकारी प्रदान करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें. नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा.
- अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें.
- अपना सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें. यह भी नोट कर ले कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी. यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा.
- **'घोषणापत्र'** को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'फाइनल सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
- पुष्टि होने पर, आपका डेटा सहेज लिया जाएगा और आपकी पंजीकरण-संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा.
- अपनी पंजीकरण-संख्या का **''यूजरनेम''** के रूप में और आपके ईमेल पर प्रदान किए गए **''ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड''** का उपयोग करके लॉगिन करें.

5. **आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए, जैसा कि मैट्रिक प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है. त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है.**

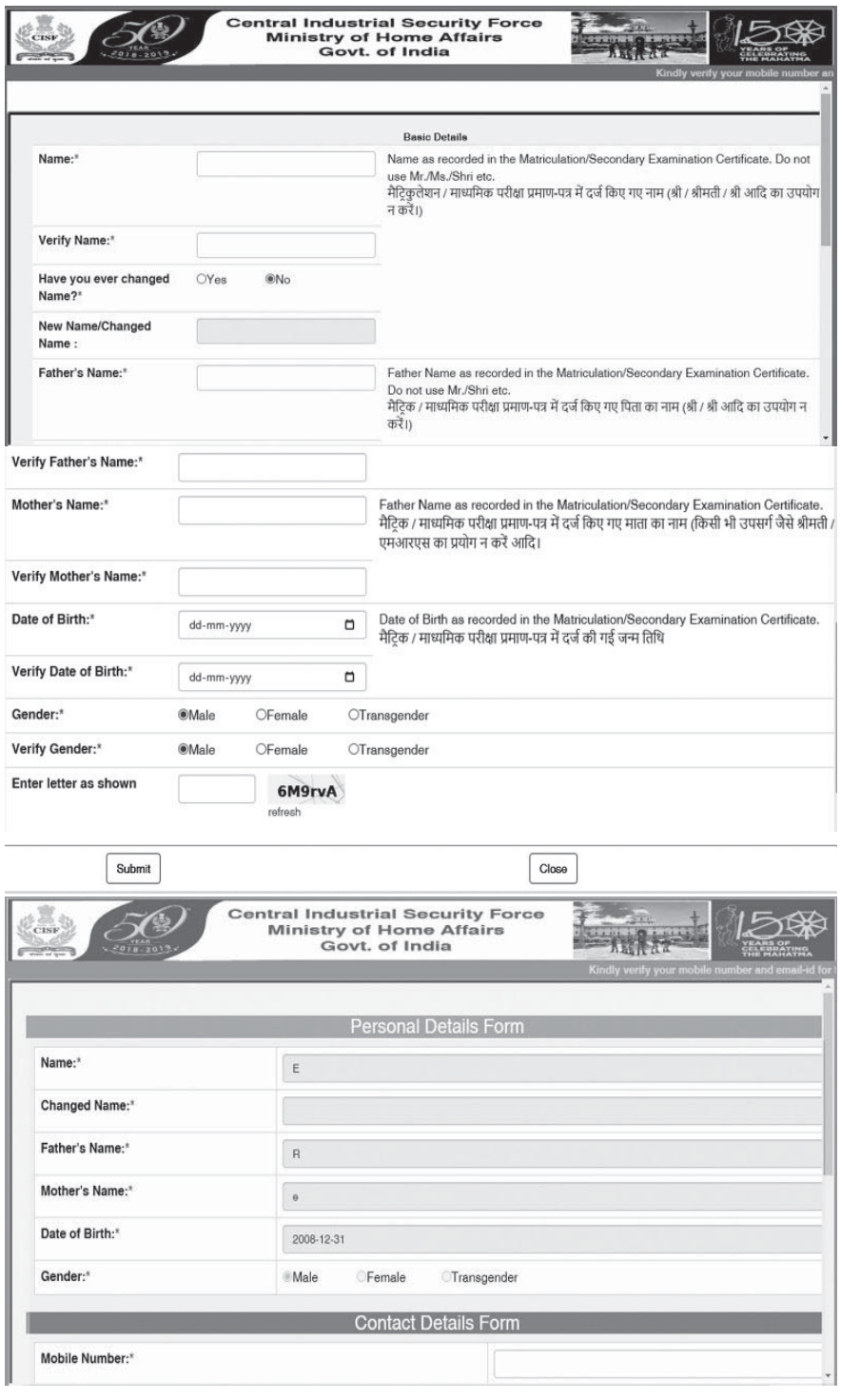

क्रमशः

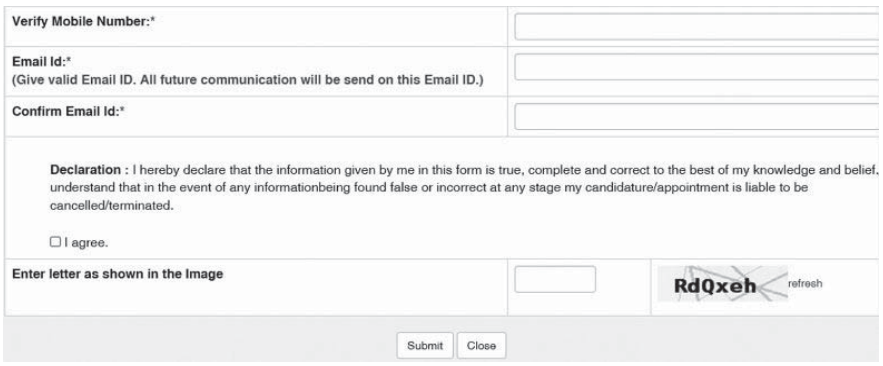

अनुलग्नक-II

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1.	**ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डेटा तैयार रखें:**
•	जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं हो). फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान दिखाई देने चाहिए. जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए. फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे.
•	जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी). हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए. अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा.
2.	पंजीकृत अभ्यर्थी अपने 'पंजीकरण-संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली में लॉग इन कर सकते हैं.
3.	सीआईएसएफ भर्ती की वेबसाइट अर्थात **https://cisfrectt.cisf.gov.in/** पर लॉग इन करें और **'सीटी-फायर 2024'** टैब पर क्लिक करें.
4.	आवश्यक विवरण जैसे **'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा'** भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.
5.	नया पेज प्रदर्शित होगा, जहां अभ्यर्थी बटन पर क्लिक कर सकते हैं (आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें).
6.	ऑनलाइन आवेदन के मूलभूत दिशा-निर्देशों को पढ़े और फॉर्म भरने के लिए जारी रखें बटन पर क्लिक करें.
7.	एक बार जब अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण भर दिए हैं, तो उसे नीचे दो बटन मिलेंगे, अर्थात् 'सहेजें और पूर्वावलोकन और बंद करें', यदि अभ्यर्थी क्लोज बटन का उपयोग करता है, तो वह आवेदन पत्र से बाहर निकल जाएगा. कोई डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा.
8.	एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भरे जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और 'सहेजें और पूर्वावलोकन' पर क्लिक करें.
9.	विवरणों को ठीक से जांचें और 'फाइनल सबमिशन' बटन पर क्लिक करें यदि आप इसे स्वीकार करते हैं जो उसके द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लिया जाएगा या यदि आवश्यक हो तो एडिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके विवरण को संशोधित करें.
10.	अपना हाल का फोटोग्राफ(परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं) जैसा कि ऊपर क्रम संख्या -1 (क) में निर्दिष्ट है.
11.	क्रम संख्या 1 (ख) में निर्दिष्ट अनुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें. धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.
12.	ऊपर अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा की सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और जिस तारीख को फोटोग्राफ लिया गया है, उस पर स्पष्ट रूप से मुद्रित होना चाहिए.
13.	आयु और शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सर्टिफिकेट की अपनी स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें.
14.	सभी आवश्यक दस्तावेज और चित्र अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले भुगतान बटन के लिए जारी रखें पर क्लिक करें.
15.	अब 'भुगतान' विंडो दिखाई देगी. जिन कर्मियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क छूट के लिए पात्र हैं और उन्हें **'प्रिंट एप्लिकेशन'** विकल्प मिलेगा.
16.	यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें.
17.	शुल्क भुगतान मोड विकल्प का चयन करके एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई शाखाओं में यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या नकद में शुल्क का भुगतान करें. यदि उम्मीदवार चालान विकल्प का चयन करता है, तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा चालान फॉर्म मिलता है. चालान फॉर्म प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार को निकटतम स्टेट बैंक ऑफइंडिया शाखा में जाना चाहिए और शुल्क जमा करना चाहिए. इसके बाद उम्मीदवार की औपचारिकता पूरी हो जाती है. बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और शुल्क सीआईएसएफ को भेजेगा. इस प्रक्रिया में न्यूनतम 48 घंटे लगते हैं. 48 घंटों के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
18.	भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उम्मीदवार अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं.

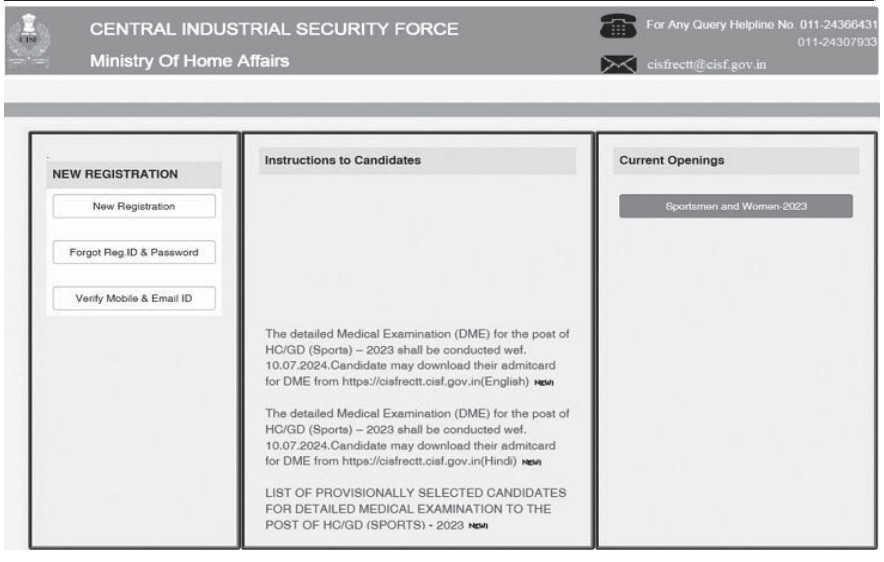

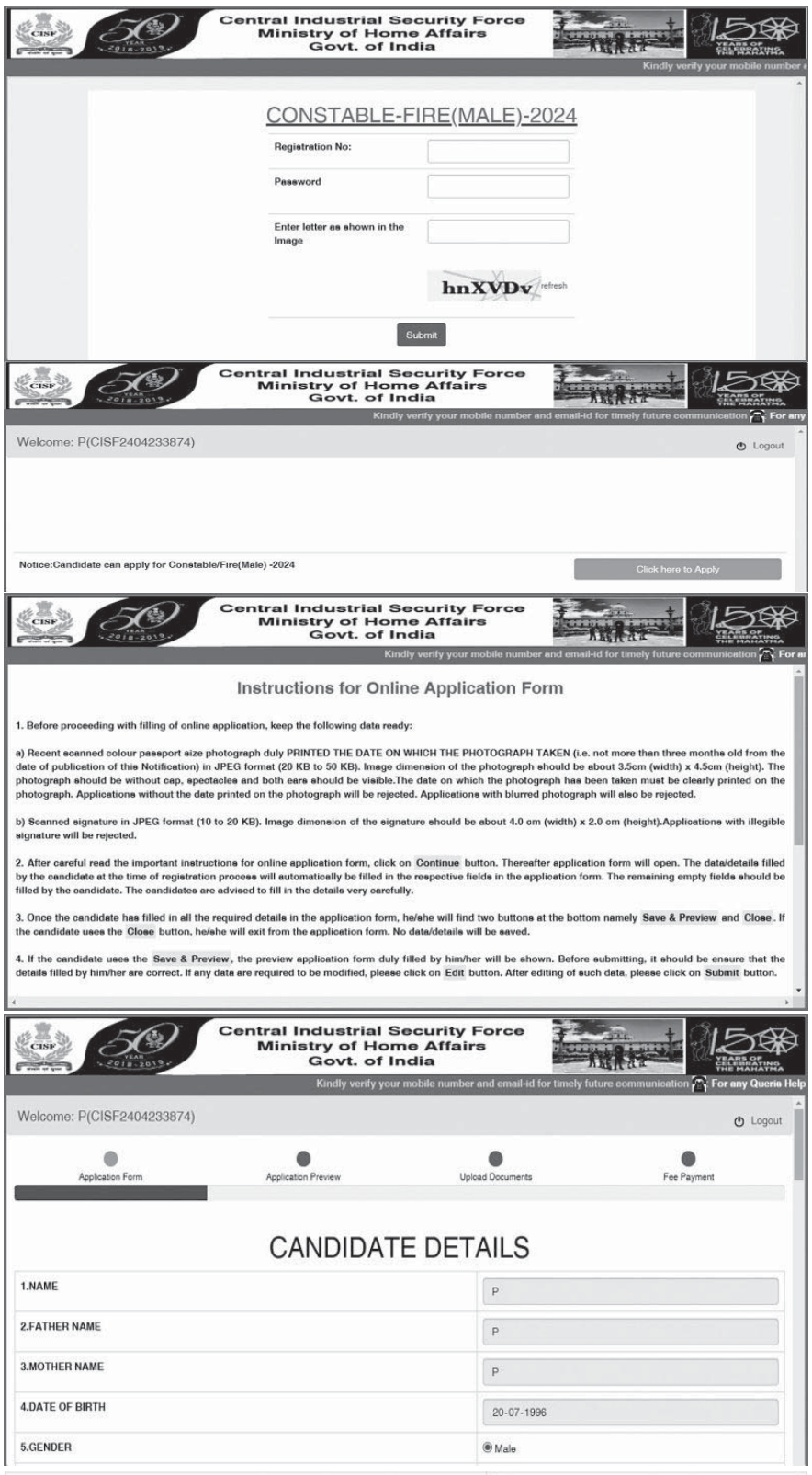

क्रमशः

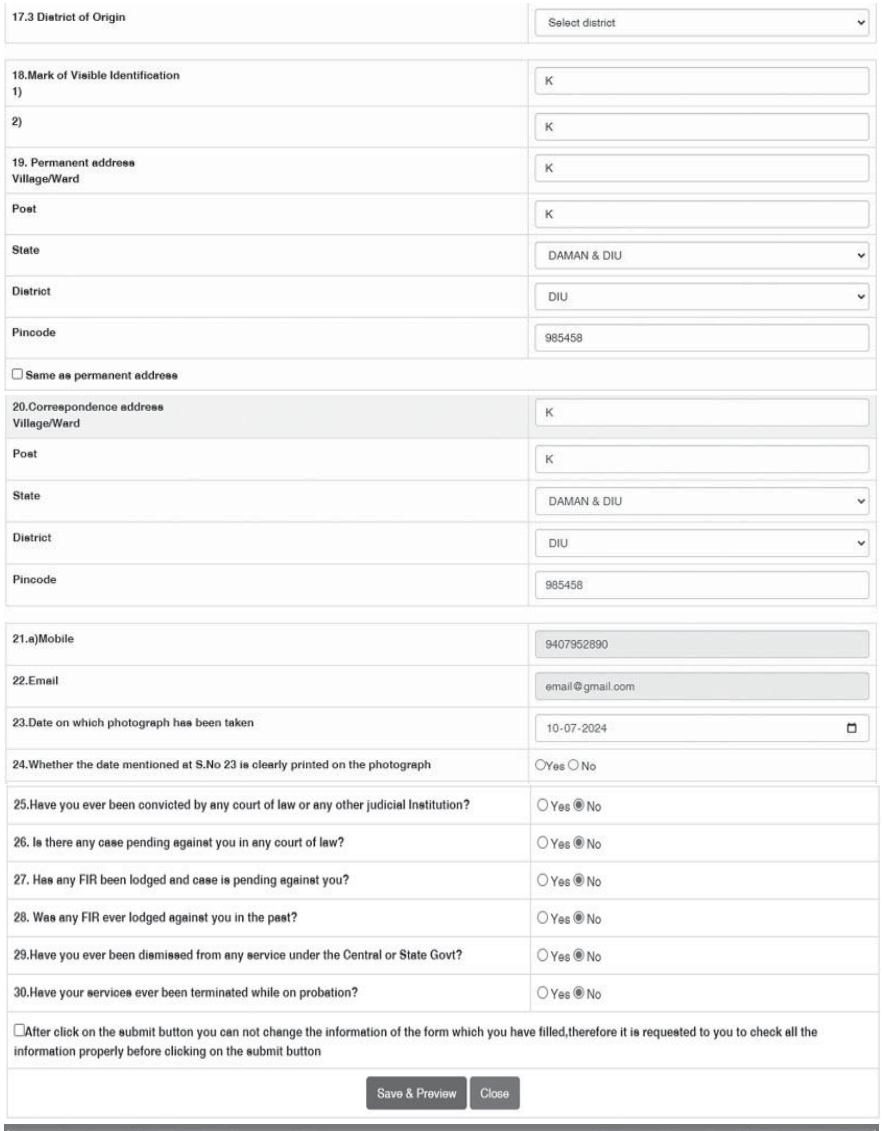

17.3 District of Origin	Select district
18.Mark of Visible Identification 1)	K
2)	K
19. Permanent address Village/Ward	K
Post	K
State	DAMAN & DIU
District	DIU
Pincode	985458
Same as permanent address	
20.Correspondence address Village/Ward	K
Post	K
State	DAMAN & DIU
District	DIU
Pincode	985458
21.a)Mobile	9407952890
22.Email	email@gmail.com
23.Date on which photograph has been taken	10-07-2024
24.Whether the date mentioned at S.No 23 is clearly printed on the photograph	Yes No
25.Have you ever been convicted by any court of law or any other judicial Institution?	Yes No
26. Is there any case pending against you in any court of law?	Yes No
27. Has any FIR been lodged and case is pending against you?	Yes No
28. Was any FIR ever lodged against you in the past?	Yes No
29.Have you ever been dismissed from any service under the Central or State Govt?	Yes No
30.Have your services ever been terminated while on probation?	Yes No

After click on the submit button you can not change the information of the form which you have filled,therefore it is requested to you to check all the information properly before clicking on the submit button

Save & Preview Close

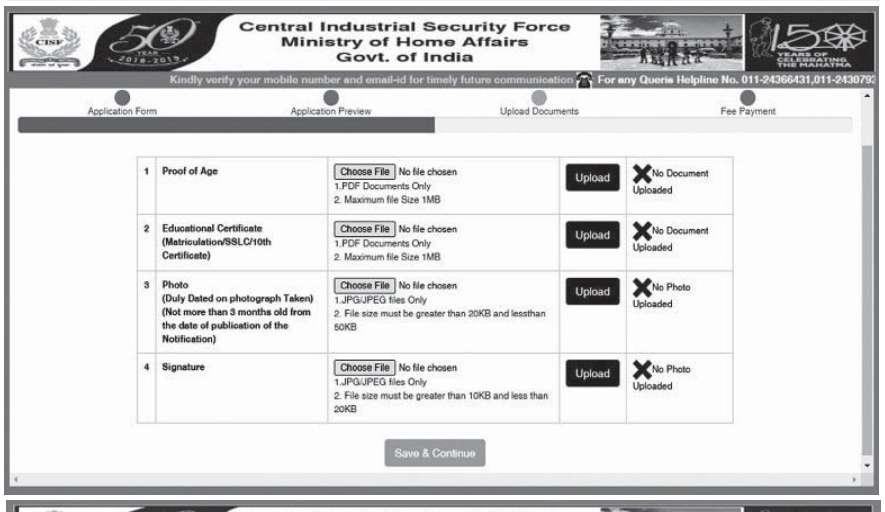

अनुलग्नक-III

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

अजा/अजजा प्रमाण प्रत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... पुत्र/पुत्री श्री .....गांव/नगर* ..... जो जिला/खंड*.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र*.....जाति/जन जाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति* के रूप में की गई है:-
**संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....
*संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 .....
संवैधानिक (अनुसूचित जाति) संघ शासित क्षेत्र आदेश, 1951.....
संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) संघशासित क्षेत्र आदेश, 1951.....
जैसा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, *पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित.
*संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 .....
संवैधानिक (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जाति आदेश 1959 यथासंशोधित अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976
*संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
*संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
*संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
*संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1967@
*संवैधानिक (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
*संवैधानिक (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
*संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
*संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
*संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
*संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
*संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
*संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1991@
*संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996
%2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में चले गए हों.
यह प्रमाणपत्र अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार पर श्री/श्रीमती* ..... पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी*.....गांव/ नगर**.....जिला/ खंड*.....राज्य/संघशासित क्षेत्र* .....जो कि .....जाति/जनजाति से संबंधित हों जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा दिनांक .....को जारी किया गया.
% 3 श्री/श्रीमती/कुमारी*..... और/अथवा/ उसका * (पुरुष/महिला) परिवार वास्तविक रूप से गांव/नगर* .....जिला/खंड*.....राज्य/संघशासित क्षेत्र*.....में रहते हैं.
स्थान..... **हस्ताक्षर**.....
दिनांक ..... ****पदनाम**..... **(कार्यालय की मुहर सहित)**

*जो लागू न हो वे शब्द काट दिए जाएं.

@कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें.

%उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो.

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द सामान्य रूप से निवासकर्ता है का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है.

**जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची.

(i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजिनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट

(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो.

(iv) उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में अभ्यर्थी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य साधारणतः निवास करते है.

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति के आवेदक केवल राजस्व विभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.

अनुलग्नक-IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री *श्री.....गांव/नगर.....जिला/प्रभाग... .....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....के .....समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या .....दिनांक..... के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है.

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/अथवा उनका/उनके परिवार ..... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/प्रभाग..... में सामान्य रूप से रहते हैं. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993**, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है.

जिलाधिकारी/उपायुक्त इत्यादि

दिनांक..... **(कार्यालय की मोहर सहित)**

*प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है.

**समय समय पर संशोधित.

टिप्पणी:- यहां **''सामान्य शब्द''** का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है.

क्रमशः

अनुलग्नक- V

.....सरकार

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति का प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं..... **दिनांक.....**

.....वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/गली.....डाकघर .....जिला.....पिनकोड.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित हैं क्योंकि उसके 'परिवार'** की कुल वार्षिक आय* वित्तीय वष .....के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है. उसके (पुरुष/महिला) परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति*** नहीं है:-

I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड.

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं.

आवेदक का हाल का पासपोर्ट आकार का सत्यापित फोटो

हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.....

नाम.....

#पदनाम.....

* **टिप्पणी:** 1. आय सभी स्त्रोंतो अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि को कवर करती है.

**टिप्पणी: 2. इस प्रयोजन के लिए ''परिवार'' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उसके (पुरुष/महिला) माता-पिता और भाई-बहन 18 वर्ष से कम आयु के साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं.

***टिप्पणी: 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थलों अथवा स्थानों/शहरों में **परिवार द्वारा आयोजित संपत्ति को क्लब किया गया है.

#आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारियों की सूची:-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उप विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त.

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट.

(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए; और

(iv) उप विभागीय अधिकारी या वह क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहते हैं.

अनुलग्नक - VI

कद या सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....पुत्र .....गांव ..... तहसील/तालुका.....जिला.....राज्य.....के स्थायी निवासी हैं.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि:-

- गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित अभ्यर्थी.
- अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाले अभ्यर्थी और दार्जिलिंग जिले के तीन उप-प्रभागों अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुर्सियांग में शामिल गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थियों और इन जिलों के निम्नलिखित ''मौजा'' उप-प्रभाग शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा अदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना पार्ट-ई (10) पंतपति वन-ई (11) महानदी वन (12) चंपसारी वन (13) सालबारी छट भाग-II (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया.

स्थान:..... **हस्ताक्षर .....**

दिनांक:..... **जिला मजिस्ट्रेट/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार**

- 'जो लागू न हो उन्हें काट दें.'

अनुलग्नक - VII

(पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए जन्म/पहचान प्रमाण पत्र)

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार.....का कार्यालय

फोटो

जम्मू और कश्मीर/लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती .....पुत्र/पुत्री, पत्नी श्री .....पूर्व में गांव.....तहसील.....जिला....., भारत विभाजन से पूर्व (अब पाकिस्तान) के निवासी थे. वर्तमान में मकान संख्या .....गली/लेन संख्या.....मोहल्ला.....गांव.....तहसील..... .....जिला.....में रह रहे हैं जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी हैं जो भारत-पाकिस्तान के 1947 के युद्ध पश्चात यहां विस्थापित हो गए हैं.

दिनांक:.....

स्थान: .....

सरपंच/नम्बरदार/नायब तहसीलदार

अनुलग्नक - VIII

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (सं.)..... (रैंक)..... (नाम)..... सशस्त्र बलों में अपनी नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि (दिनांक)..... को पूरी करने वाला है.

स्थान: **(कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर)**

दिनांक: **कार्यालय की मुहर**

अनुलग्नक-IX

भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत सिविल पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दी जाने वाली वचनबद्धता

मैं समझता हूं कि, यदि आवेदन से संबंधित भर्ती/परीक्षा के आधार पर मेरा चयन होता है, तो मेरी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए मेरे द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र बलों से विधिवत मुक्त/सेवानिवृत्त/मुक्त कर दिया गया है और मैं भूतपूर्व सैनिकों (केंद्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन नियम, 1979, समय-समय पर संशोधित) के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूं.

मैं यह भी समझता हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.08.2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था. (आरक्षण) के अनुसार, यदि मैं किसी सिविल रोज़गार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता हूं, तो मैं किसी भी बाद की नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता हूं, बशर्ते कि इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, जैसे ही मैं किसी सिविल रोज़गार में शामिल होता हूं, मुझे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में स्व-घोषणा/वचन देना चाहिए, जिसके लिए मैंने प्रारंभिक सिविल रोज़गार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, उन रिक्तियों के संबंध में जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है.

स्थान : **(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)**

दिनांक :

अनुलग्नक -X

नक्सल/आतंकवाद से प्रभावित जिलों की सूची

क्र. सं.	नक्सल/ आतंकवाद से प्रभावित राज्यों के नाम	राज्यों में नक्सल/ आतंकवाद से प्रभावित ज़िलों के नाम	ज़िलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	अलूरी सीताराम राजू	01
2.	छतीसगढ़	बस्तर, बिजापुर, दंतेवाड़ा, धमतारी, गरियाबांध, कान्केर, कोन्डागांव, महासमंद, नारायणपुर, राजनंदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ चौकी, खैरागढ-छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली	15
3.	झारखंड	गिरीडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम.	05
4.	केरला	वायनाड, कन्नुर	02
5.	मध्य प्रदेश	बालाघाट, मांडला एवं डिंडोरी.	03
6.	महाराष्ट्र	गड़चिरोली, गोंदिया.	02
7.	ओड़िशा,	बोलान्गीर, कालाहान्डी, कंधमाल, मलकानगिरी, नवरंगपुर, नौपाडा, रायगडा.	07
8.	तेलंगाना	भदराद्री-कोथागुदम एवं मुलुगु.	02
9.	पश्चिम बंगाल	झारग्राम.	01
		कुल	**38**
10.	अरूणाचल प्रदेश	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
11.	असम	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
12.	जम्मू एवं कश्मीर	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
13.	लद्दाख	उग्रवाद प्रभावित	
14.	मणिपुर	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
15.	मेघालय	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
16.	मिजोरम	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
17.	नागालैंड	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
18.	त्रिपुरा	उग्रवाद प्रभावित	सभी जिले
		कुल	9 राज्य/संघ शासित प्रदेश

भारतीय वायुसेना/Indian Air Force

भारतीय वायु सेना में ग्रुप 'सी' सिविलियन पदों की सीधी भर्ती

(विज्ञापन संख्या-02/2024)

नीचे उल्लिखित विभिन्न वायु सेना स्टेशनों/इकाइयों में ग्रुप 'सी' सिविलियन पदों की भर्ती के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. पात्र उम्मीदवार संबंधित स्टेशनों/इकाइयों को अपना आवेदन भेज सकते हैं. पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

मुख्यालय दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, भारतीय वायु सेना

क्रम सं.	डाक का पता	पद	कुल रिक्तियों की संख्या	वह श्रेणी, जिसके लिए पद निर्धारित किया जाना चाहिए						
				यूआर	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूबीडी*	ईएसएम
1.	C Adm O, एयरफोर्स स्टेशन रतानाडा, जोधपुर (राजस्थान), पिन-342011	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	02	01	-	-	01	-	-	01
2.	C Adm O, एयरफोर्स स्टेशन, जामनगर, गुजरात, पिन- 361003	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	01	01	-	-	-	-	-	-
3.	Adjt (A), एयरफोर्स स्टेशन, दर्जीपुरा वडोदरा (गुजरात), पिन-390022	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	01	-	01	-	-	-	-	-
4.	S Adm O, एयरफोर्स स्टेशन, मकरपुरा वडोदरा (गुजरात), पिन-390014	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	01	01	-	-	-	-	-	-
5.	APM, एयरफोर्स पुलिस हेड क्वार्टर, ओल्ड पाली रोड़ रतानाडा, जोधपुर (राजस्थान), पिन-342011	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	01	-	-	01	-	-	-	-
6.	C Adm O, एयरफोर्स स्टेशन, माउंट आबू, जिला-सिरोही (राजस्थान), पिन-307501	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	01	-	-	-	-	01	-	-
7.	Adjt (B), क्षेत्रीय परीक्षा बोर्ड (पश्चिम), ओल्ड एमएलए हॉस्टल, सेक्टर -09, गांधीनगर (गुजरात), पिन-382007	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	03	01	01	-	-	01	-	-
		कुल	**10**	**04**	**02**	**01**	**01**	**02**	**-**	**01**

मुख्यालय दक्षिणी वायु कमान, भारतीय वायुसेना

क्रम सं.	डाक का पता	पद	कुल रिक्तियों की संख्या	वह श्रेणी, जिसके लिए पद निर्धारित किया जाना चाहिए						
				यूआर	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूबीडी*	ईएसएम
1.	मुख्यालय दक्षिणी वायु कमान (यूनिट), भारतीय वायु सेना तिरुवनंतपुरम, पिन-695011	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	02	01	01	-	-	-	-	-

केंद्रीय सेवा विकास संगठन, भारतीय वायु सेना

क्रम सं.	डाक का पता	पद	कुल रिक्तियों की संख्या	वह श्रेणी, जिसके लिए पद निर्धारित किया जाना चाहिए						
				यूआर	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूबीडी*	ईएसएम
1.	एयर ऑफिसर कमांडिंग केंद्रीय सेवा विकास संगठन, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	01	01	-	-	-	-	-	-

ASTE, भारतीय वायु सेना

क्रम सं.	डाक का पता	पद	कुल रिक्तियों की संख्या	वह श्रेणी, जिसके लिए पद निर्धारित किया जाना चाहिए						
				यूआर	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूबीडी*	ईएसएम
1.	कमांडेंट ASTE, एयर फोर्स येमुर पोस्ट, बेंगलुरु-560037	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	01	01	-	-	-	-	-	-

क्षेत्रीय परीक्षा बोर्ड (पूर्व), भारतीय वायु सेना

क्रम सं.	डाक का पता	पद	कुल रिक्तियों की संख्या	वह श्रेणी, जिसके लिए पद निर्धारित किया जाना चाहिए						
				यूआर	ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूबीडी*	ईएसएम
1.	कमांडिंग ऑफिसर, REB (E), AF C/O एयर फ़ोर्स स्टेशन बोरझार, कामरूप (असम), पिन-781015	लोअर डिवीजन क्लर्क (एल.डी.सी.)	02	02	-	-	-	-	-	-

नोट : रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है.

नोट : यूआर-अनारक्षित, **एससी**-अनुसूचित जाति, **एसटी**-अनुसूचित जनजाति, **ओबीसी**-अन्य पिछड़ा वर्ग, **पीडब्ल्यूबीडी**-बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, **ईडब्ल्यूएस**-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, **ईएसएम**-भूतपूर्व सैनिक.

नोट : अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति /भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण-बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति /भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित कोटे के तहत चुने गए व्यक्तियों को भी अनारक्षित /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग /श्रेणियों के बीच पद आधारित रोस्टर में समायोजित किया जाएगा.

2. **आयु सीमा :-** सभी पदों के लिए 18-25 वर्ष.
(आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि है).

(क) आयु में छूट :- (i) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष.

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष.

(iii) शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष. (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 05 वर्ष और ओबीसी वर्ग के लिए 03 वर्ष अतिरिक्त).

(iv) भूतपूर्व सैनिक : भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने सशस्त्र बलों में कम से कम 06 महीने की निरंतर सेवा की है, उन्हें अपनी वास्तविक आयु से ऐसी सेवा की पूरी अवधि घटाने की अनुमति दी जाएगी और यदि परिणामी आयु निर्धारित अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक नहीं है, तो उन्हें आयु सीमा के भीतर माना जाएगा.

(v) अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार आयु-सीमा, अनुभव आदि में किसी भी छूट के हकदार नहीं हैं.

(vi) विभागीय कर्मचारी :- अनारक्षित के लिए 40 वर्ष.
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष.
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष.

नोट :- सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट प्रचलित सरकारी निर्देशों के अनुसार है.

3. **शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान :-**

पद	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता/अनुभव
लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी)	लेवल-2, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार	**(i)** किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण. **(ii)** कंप्यूटर पर कौशल परीक्षण मानदंड अंग्रेजी टाइपिंग @ 35 शब्द प्रति मिनट, **या** हिंदी टाइपिंग @ 30 शब्द प्रति मिनट. (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट 10,500 की अवनमन (डिप्रेशन) प्रति घंटे या 9,000 की अवनमन (डिप्रेशन) प्रति घंटे के हिसाब से औसतन 5 की अवनमन (डिप्रेशन) प्रति शब्द).

नोट :- पद का नामकरण परिवर्तन के अधीन है.

4. **चयन का तरीका :-**

(a) सभी आवेदनों की आयु सीमा, न्यूनतम योग्यता, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के संदर्भ में जांच की जाएगी. इसके बाद, पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे.

(b) पात्र उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा. लिखित परीक्षा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होगी.

(c) पाठ्यक्रम :- (i) सामान्य बुद्धि, **(ii)** अंग्रेजी भाषा, **(iii)** संख्यात्मक योग्यता, **(iv)** सामान्य जागरूकता

(d) प्रश्न-सह-उत्तर पत्र अंग्रेजी और हिंदी में होगा.

(e) लिखित परीक्षा में योग्यता/श्रेणी के आधार पर आवश्यक संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और कौशल/व्यावहारिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा.

(f) अंकन प्रणाली निम्न अनुसार होगी :-
(i) लिखित परीक्षा-100 प्रतिशत (महत्व/वेटेज)
(ii) कौशल/व्यावहारिक परीक्षा-केवल योग्यता

(g) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को आवेदन के साथ संलग्न मूल प्रमाणपत्र, अनुलग्नक की प्रतियां नहीं लानी हैं.

5. **अंतिम तिथि : आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 20 दिन है.**

6. **आवेदन कैसे करें :-**
पात्र अभ्यर्थी रिक्तियों और योग्यताओं के अधीन अपनी पसंद के किसी भी वायु सेना स्टेशन पर आवेदन कर सकते हैं. नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन (अंग्रेजी/हिंदी में टाइप किया हुआ), निम्नलिखित दस्तावेज के साथ विधिवत समर्थित, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से **20 दिन के भीतर** पसंद के अनुसार संबंधित वायु सेना स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए.

(ए) शैक्षिक योग्यता, आयु, तकनीकी योग्यता, शारीरिक रूप से दिव्यांग, अनुभव प्रमाणपत्र और जाति प्रमाणपत्र (एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में सक्षम नागरिक अधिकारियों द्वारा जारी) आदि के समर्थन में सभी दस्तावेज आवेदन के साथ स्व-सत्यापित होने चाहिए.

(बी) ओबीसी उम्मीदवारों की उनके आरक्षित कोटे के तहत नियुक्ति के मामले में उनकी जाति ओबीसी की केंद्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध जाति से संबंधित उम्मीदवार ही केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए पात्र हैं. ओबीसी में क्रीमी लेयर के संबंध में नवीनतम नियमों का पालन किया जाना है. ओबीसी के रूप में आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को आवेदन के साथ इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे किसी भी क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं.

(सी) भूतपूर्व सैनिक के मामले में डिस्चार्ज बुक की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए.

(डी) आवेदन पत्र अंग्रेजी/हिंदी में विधिवत टाइप किया हुआ, जिसमें हाल ही का फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार)

क्रमशः

पंडित माधव राव सप्रे
राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान

जन्म 19 जून 1871
निधन 23 अप्रैल 1926

छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग द्वारा देश के प्रसिद्ध साहित्कार और छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक स्वर्गीय पंडित माधवराव सप्रे की स्मृति में राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान की स्थापना की गयी है। यह सम्मान प्रति वर्ष ऐसे मनीषी को दिया जाएगा, जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र में अपने विशिष्ट रचनात्मक लेखन और हिन्दी भाषा के प्रति समर्पण भाव से रचनात्मक कार्य करके राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है। चयनित मनीषी को प्रशस्ति पत्र सहित दो लाख 50 हजार रूपए की सम्मान राशि भेंट की जाएगी। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान हेतु प्रस्ताव/अनुशंसा पत्र दिनांक 23 सितम्बर 2024 तक आमंत्रित हैं।

कृपया प्रस्ताव / अनुशंसा पत्र निम्नलिखित पते पर सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक द्वारा भेजें- संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भूतल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) पिन कोड-492002

पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान की अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र (असाधरण) में 30 अप्रैल 2014 के अंक में प्रकाशित की गयी है, जिसमें चयन प्रक्रिया और नियमों का विस्तार से उल्लेख है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट www.dprog.gov.in में अधिसूचना का अवलोकन करने का कष्ट करें।

आयुक्त
जनसम्पर्क संचालनालय
छत्तीसगढ़ रायपुर

आर.ओ.108/जी-242502249.13

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग

चतुर्थतल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 492002 (छ.ग.)
फोन नं.-0771-2221766 एवं नं.-0771-2511549
email-handloomraipur@gmail.com

क्र./हा./रा.रा.क.मा.पु/2024-25/1169 नया रायपुर दिनांक 3.09.2024

"राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजनांतर्गत"
वर्ष 2024-25 के लिए प्रविष्टियों आमंत्रण हेतु तिथि बढ़ाने हेतु संक्षिप्त विज्ञापन सूचना

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के हाथकरघा सूती वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्रदान करने तथा सूती वस्त्र बुनकरों की कल्पनाशीलता, योग्यता, तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020"की स्थापना की गयी है । "राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजनांतर्गत" वर्ष 2024-25 अंतर्गत 02 बुनकरों को पुरस्कार राशि एक-एक लाख रूपये के मान से कुल राशि रू. 2.00 लाख (अक्षरी राशि रू. दो लाख रूपये मात्र) नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह शॉल एवं श्रीफल दिया जायेगा। यह पुरस्कार निर्णायक मंडल द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ दो बुनकरों को दिया जावेगा।

"राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना नियम 2020" वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश के सूती वस्त्र बुनाई करने वाले बुनकरों से आवेदन विज्ञापन क्र. जी-242501352 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा दिनांक 03.09.2024 शाम 4:00 बजे तक प्रविष्टियों आमंत्रित की गई थी। उक्त विज्ञापन में निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुए अब दिनांक 18.09.2024 सायं 4:00 बजे तक आवेदन सहित प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नही किया जावेगा। इस विज्ञापन की विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र प्रारूप सहित www.ruralindustries.cg.gov.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।
संलग्न उपरोक्तानुसार।
(संचालक, ग्रामोद्योग द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
ग्रामोद्योग हाथकरघा
रायपुर छत्तीसगढ़

आर.ओ109/जी-242502221.5

(पिछले पृष्ठ का शेष)

विधिवत स्व-सत्यापित हो. कोई अन्य सहायक दस्तावेज (स्व-सत्यापित). 10/- रुपये की मोहर चिपकाए हुए स्वयं का पता लिखा लिफाफा पता अंग्रेजी/हिंदी में टाइप किया हुआ होना चाहिए. आवेदकों को लिफाफे पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए ..... 'पद के लिए आवेदन और ..... श्रेणी'.

(ई) दो पासपोर्ट आकार के फोटो (आवेदन पत्र पर लगाए गए फोटो के समान).

7. **सामान्य निर्देश :-**

(क) नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. भारतीय वायु सेना किसी भी प्रकार के डाक विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगी.

(ख) लिखित परीक्षा/कौशल/व्यावहारिक परीक्षा के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों को बुलाने से पूर्व संबंधित इकाई द्वारा आयु सीमा, न्यूनतम योग्यता, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों के संदर्भ में आवेदन की पूर्व-जांच की जाएगी.

(ग) अभ्यर्थी को परीक्षा/कौशल/व्यावहारिक परीक्षा का केन्द्र यथासमय सूचित किया जाएगा. केन्द्र, आवेदन भेजने के स्थान से भिन्न हो सकता है. यह पूर्णतः प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है.

(घ) लिखित परीक्षा/कौशल/व्यावहारिक परीक्षा में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा.

(ङ) चयनित अभ्यर्थी अखिल भारतीय सेवा दायित्व के अधीन होगा.

(च) केवल मूल चयन मानदंड को पूरा करने से ही कोई व्यक्ति स्वतः परीक्षा/कौशल/व्यावहारिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता.

(छ) अभ्यर्थियों को मूल प्रमाणपत्र, जैसे- कौशल/प्रैक्टिकल परीक्षा के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता और अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है. उक्त दस्तावेज/प्रमाणपत्रों की वैधता निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि या उससे पहले होगी.

(एच) सभी श्रेणियों के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार किस श्रेणी के लिए उपस्थित होना चाहता है, यह तय करने की जिम्मेदारी आवेदक की खुद की पसंद होगी. यदि परीक्षाएं एक ही तिथि पर आयोजित की जाती हैं, तो एक से अधिक श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी.

8. संबंधित वायु सेना स्टेशन के एयर ऑफिसर कमांडिंग/स्टेशन कमांडर/कमांडिंग ऑफिसर को बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार है. इसी तरह, संबंधित कमांड/यूनिट को चयन से पहले किसी भी समय किसी भी वायु सेना स्टेशन पर रिक्तियों की संख्या/आरक्षण की स्थिति को बदलने का अधिकार है.

आवेदन के लिए प्रोफॉर्मा

..... इकाई में ..... के पद के लिए आवेदन

(1) आवेदित पद : .....
(2) अभ्यर्थी का नाम : .....
(बड़े अक्षरों में)
(3) पिता का नाम : .....

स्व-प्रमाणित फोटो चिपकाएं

(4) जन्म तिथि (स्व-प्रमाणित जन्म प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) : .....
(5) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (निर्धारित) को आयु : ..... वर्ष .....महीने .....दिन
(6) पत्राचार के लिए पता : .....
मकान संख्या/गली/गांव .....
डाकघर .....
जिला .....
राज्य .....
पिन कोड .....
(7) स्थायी पता : .....
मकान संख्या/गली/गांव .....
डाकघर .....
जिला .....
राज्य .....
पिन कोड .....
(8) **जाति :** सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (संलग्न करें सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में स्व-सत्यापित प्रमाणपत्र) : .....
(9) शैक्षिक योग्यता (स्व-सत्यापित शिक्षा प्रमाणपत्र संलग्न करें) : .....
(10) कोई अन्य योग्यता/अनुभव : .....
(11) जिस श्रेणी के लिए आवेदन किया है : सामान्य (अनारक्षित)/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक/मेधावी खिलाड़ी/शारीरिक रूप से दिव्यांग .....
..... (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें).
(12) तकनीकी प्रशिक्षण/अनुभव : .....
(13) निवास स्थान (स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करें) : .....
(14) क्या किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं : हां/नहीं
(15) मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन में उल्लिखित उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं, यदि मेरे द्वारा उल्लिखित विवरण किसी भी स्तर पर झूठे पाए जाते हैं तो मुझे बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया जाएगा.

तिथि : .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

केवल आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए

(1) प्राप्ति तिथि : .....
(2) स्वीकृत/अस्वीकृत :.....
(3) अस्वीकृति का कारण : कम आयु/अधिक आयु/अधूरे दस्तावेज/कोई अन्य कारण, जो निर्दिष्ट किया जाना है : .....
(4) सूचकांक संख्या : ..... परीक्षण/कौशल/प्रायोगिक/शारीरिक परीक्षण की तिथि.

पावती कार्ड

पद : .....

स्व-प्रमाणित फोटो चिपकाएं

(1) नाम : .....
(2) पिता का नाम : .....
(3) पत्राचार का पता (आवेदन पत्र के कॉलम 6 के अनुसार ही भरें)
मकान नं./गली/गांव .....
डाकघर .....
जिला .....
राज्य .....
पिन कोड .....
(4) सूचकांक संख्या : ..... परीक्षा/कौशल/प्रायोगिक/शारीरिक परीक्षण की तिथि और समय .....
(5) लिखित परीक्षा/कौशल/प्रायोगिक/शारीरिक परीक्षण का स्थान .....

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

कॉरपोरेट कार्यालय : प्रथम तल, टावर ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

फा. सं. एनएचआईडीसीएल/2(20)/रिक्रूट ईडी (टी/पी)/2024/एचआर

दिनांक : 10.08.2024

राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भारत सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन एक निगम के रूप में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों का तेजी से निर्माण/उन्नयन/चौड़ीकरण करने के लिए की गई है.

एनएचआईडीसीएल में निम्नलिखित पदों हेतु प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण आधार पर ऐसे ऊर्जावान, प्रभावकारी और अनुभवी पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जो केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी मंत्रालयों/विभागों, भारतीय थल सेना/ नौसेना/ वायुसेना, सीमा सड़क संगठन (जीआरईएफ) केन्द्र/राज्य के स्वायत्त निकायों, केन्द्र/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्य कर रहे हों :

क्र. सं.	पदों का नाम	रिक्तियों की संख्या *	सीडीए पैटर्न में वेतन मैट्रिक्स स्तर
1.	**महाप्रबंधक (भूमि अर्जन एवं समन्वय)**	04	वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (1,23,100-2,15,900/- रुपये)
2.	**उप-महाप्रबंधक (तकनीकी/परियोजना)**	21	वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200/- रुपये)
3.	**उप-महाप्रबंधक (भूमि अर्जन एवं समन्वय)**	12	वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (78,800-2,09,200/- रुपये)
4.	**प्रबंधक (तकनीकी/परियोजना)**	46	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रुपये)
5.	**प्रबंधक (भूमि अर्जन एवं समन्वय)**	15	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रुपये)
6.	**प्रबंधक (विधिक)**	01	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रुपये)
7.	**प्रबंधक (मानव संसाधन/सतर्कता)**	03	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रुपये)
8.	**उप-प्रबंधक (तकनीकी/परियोजना)**	58	वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56,100-1,77,500/- रुपये)
9.	**उप-प्रबंधक (मानव संसाधन)**	01	वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56,100-1,77,500/- रुपये)
10.	**उप-प्रबंधक (वित्त)**	06	वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (56,100-1,77,500/- रुपये)
11.	**सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन)**	03	वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (47,600-1,51,100/- रुपये)
12.	**सहायक प्रबंधक (वित्त)**	13	वेतन मैट्रिक्स स्तर-8 (47,600-1,51,100/- रुपये)
13.	**कनिष्ठ प्रबंधक (वित्त)**	15	वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रुपये)
14.	**कनिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन)**	07	वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रुपये)
15.	**प्रधान निजी सचिव (रा.रा. अ.वि.नि. लिमिटेड मुख्यालय)**	01	वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (67,9700.2,08,700/- रुपये)
16.	**निजी सहायक (रा.रा. अ.वि.नि. लिमिटेड मुख्यालय)**	07	सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रुपये)

* आवश्यकतानुसार, पदों की रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है. इसके अतिरिक्त, एनएचआईडीसीएल के पास यहां दर्शायी गयी तथा भविष्य में संभावित रिक्तियों के लिए चयनित अभ्यार्थियों का एक पैनल तैयार करने का अधिकार सुरक्षित है.

आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों

विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख एनएचआईडीसीएल की वेबसाइट www.nhidcl.com पर प्रदर्शित की जाएगी.

पात्रता मानदंडों तथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के लिए कृपया एनएचआईडीसीएल की वेबसाइट **www.nhidcl.com** को देखिए.

आवेदन-पत्र, केवल ऑन-लाइन तरीके से जमा किये जाएंगे, जिसके लिए एनएचआईडीसीएल की वेबसाइट **www.nhidcl.com** पर लिंक दिया गया है. किसी भी परिस्थिति में, व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से भेजे गए किसी भी आवेदन-पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

नोट 1 : अभ्यर्थियों की आयु सहित पात्रता मानदंड तय करने की प्रभावी तिथि अभ्यावेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि होगी.

नोट 2 : प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण आधार पर आवेदन-पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थी के लिए उचित माध्यम से भी अपना आवेदन-पत्र जमा करना आवश्यक होगा. पद के लिए संक्षिप्त सूचीबद्ध (शॉर्ट लिस्टेड) किये जाने के पश्चात् भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उचित माध्यम से प्राप्त आवेदन के साथ उसके मूल संगठन से भेजी गयी गत पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रतियां, अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) और सतर्कता निर्बाधन प्रमाण-पत्र (वीसी) संलग्न होगा.

नोट 3 : सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त अधिकारी जो विहित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, वे भी संविदा आधार पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. बशर्ते, उन्होंने आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि को 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो.

नोट 4 : इस रिक्त पद संबंधी परिपत्र में कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन केवल एनएचआईडीसीएल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा.

नोट 5 : अपूर्ण अथवा निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त किए गए आवेदन-पत्रों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा.

पदों के लिए पात्रता मानदंड एवं निबंधन और शर्तें :

शैक्षिक अर्हताएं, पात्रता मानदंड और आवश्यक अनुभव के विवरण नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता	पात्रता मानदंड और आवश्यक अनुभव
	1	2	3
1.	**महाप्रबंधक (भूमि अर्जन एवं समन्वय)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :** **(i)** किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से डिग्री. **और** **(ii)** वेतन स्तर-10 (संशोधन-पूर्व के ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित 15,600-39,100/- रुपये का वेतन बैंड-3) या समकक्ष या उससे ऊपर में 14 वर्ष का अनुभव, जिसमें से भूमि अर्जन और राजस्व मामलों का कार्य देखने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-13 [ग्रेड वेतन 8,700/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-04 (37,400-67,000/- रुपये)] में या आईडी, पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-12 [ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये सहित, पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा. **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो.
2.	**उप-महाप्रबंधक (तकनीकी/परियोजना)**	**आयु :** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :** **(i)** किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से सिविल अभि-यांत्रिकी में डिग्री. **और** **(ii)** वेतन स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) (संशोधन-पूर्व के ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित 15,600-39,100/- रुपये का वेतन बैंड-3) या समकक्ष या उससे ऊपर वाले पदों पर 09 वर्ष का अनुभव, जिसमें से राजमार्गों, सड़कों, सुरंगों और पुलों के क्षेत्र में 06 वर्ष का अनुभव हो.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-12 [ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-11 [ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 05 वर्ष की नियमित सेवा. **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
3.	**उप-महाप्रबंधक (भूमि अर्जन और समन्वय)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से डिग्री. **और** **(ii)** वेतन स्तर-10 (संशोधन-पूर्व के ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित 15,600-39,100/- रुपये का वेतन बैंड-3) या समकक्ष या उससे ऊपर में 09 वर्ष का अनुभव, जिसमें से भूमि अर्जन और राजस्व मामलों का कार्य देखने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-12 [ग्रेड वेतन 7,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडी, पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडी, पैटर्न में वेतन स्तर-11 [ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा. **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
4.	**प्रबंधक (तकनीकी/परियोजना)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से सिविल अभि-यांत्रिकी में डिग्री. **और** **(ii)** वेतन स्तर-10 (56,100-1,77,500 रुपये) (संशोधन-पूर्व के ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित 15,600-39,100/- रुपये का वेतन बैंड-3) या समकक्ष या उससे ऊपर वाले पदों पर 04 वर्ष का अनुभव, जिसमें से राजमार्गों, सड़कों, सुरंगों और पुलों के क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव हो.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-11 [ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडी, पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व. संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 05 वर्ष की नियमित सेवा. **या** **(iii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 08 वर्ष की नियमित सेवा. **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
5.	**प्रबंधक (भूमि अर्जन समन्वय)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से डिग्री. **और** **(ii)** वेतन स्तर-10 (संशोधन-पूर्व के ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित 15,600-39,100/- रुपये	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-11 [ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडी, पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/-

क्रमशः

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता	पात्रता मानदंड और आवश्यक अनुभव
	1	2	3
		का वेतन बैंड-3) या समकक्ष या उससे ऊपर वाले पदों पर 03 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव जिसमें से भूमि अर्जन और राजस्व मामलों को देखने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो.	रुपये), में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा. **और** कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
6.	**प्रबंधक (विधिक)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से विधि की डिग्री. **और** **(ii)** संविदात्मक मामलों/मध्यस्थता/ विधिक मामलों/भूमि अर्जन से संबंधित मामलों में विधि के क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-11 [ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा.**या** **(iii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की नियमित सेवा. **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
7.	**प्रबंधक (मानव संसाधन/ सतर्कता)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से विधि की डिग्री. **वांछनीय :-** **(i)** विधि में डिग्री **या** **(ii)** व्यवसाय प्रशासन में स्नातक **या** व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा **और** प्रशासन/स्थापना/ मानव संसाधन/कार्मिक में कम से कम 04 वर्ष का अनुभव.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-11 [ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा. **या** **(iii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-4,800/-रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की नियमित सेवा. **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
8.	**उप-प्रबंधक (मानव संसाधन)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से डिग्री. **और** प्रशासन/स्थापना/मानव संसाधन/ कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 04 वर्ष का अनुभव.	केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या भारत सरकार से संबंद्ध मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों या सरकारी निकायों के अधिकारी :- **(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत; **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 02 वर्ष की नियमित सेवा; **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
9.	**उप-प्रबंधक (तकनीकी/ परियोजना)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रूपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 04 वर्ष की नियमित सेवा और शैक्षिक अर्हता हो.
10.	**उप-प्रबंधक (वित्त)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से आईसीएआई/ आईसीडब्ल्यूएआई/एमबीए (वित्त); अर्हता के पश्चात् 04 वर्ष के अनुभव सहित, जिसमें से वित्त और लेखा संबंधी मामले देखने का कम से कम 02 वर्ष का अनुभव. **या** **(ii)** किसी भी संगठित समूह 'क'-वित्त/ केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की लेखाओं की संबंधित सेवा का सदस्य.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत; **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 04 वर्ष की नियमित सेवा; **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
11	**सहायक प्रबंधक (मानव संसाधन)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से डिग्री. **और** **(ii)** प्रशासन/स्थापना/मानव संसाधन/कार्मिक प्रबंधन में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत; **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-7 [ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 02 वर्ष की नियमित सेवा; **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो.
12.	**सहायक प्रबंधक (वित्त)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से आईसीएआई/ आईसीडब्ल्यूएआई/एमबीए (वित्त) की डिग्री; **या** **(ii)** केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी संगठित वित्त/लेखाओं से संबंधित सेवा का सदस्य; **अनिवार्य अनुभव :-** केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-शासी या सांविधिक या स्वायत्त शासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों में वित्तीय लेखाओं/बजटिंग/आंतरिक लेखा परीक्षा/संविदा प्रबंधन/निधि प्रबंधन/ संवितरण में कम से कम 04 वर्ष का अनुभव.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-8 [ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत; **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-7 [ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 02 वर्ष की नियमित सेवा; **और** कॉलम 2 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनुभव हो.
13.	**कनिष्ठ प्रबंधक (वित्त)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** वाणिज्य/लेखाओं में स्नातक किसी की डिग्री; **या** **(ii)** आईसीएआई/आईसीडबल्यू-एआई में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-7 [ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत; **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-6 [ग्रेड वेतन 4,200/- रूपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 05 वर्ष की नियमित सेवा; **और** अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हो.
14.	**कनिष्ठ प्रबंधक (मानव संसाधन)**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से डिग्री.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-7 [ग्रेड वेतन 4,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत. **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-6 [ग्रेड वेतन 4,200/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9,300-34,800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् 05 वर्ष की नियमित सेवा. **और** अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं हो.

क्रमशः

क्र. सं.	पद का नाम	शैक्षिक अर्हता	पात्रता मानदंड और आवश्यक अनुभव
	1	2	3
15.	**प्रधान निजी सचिव**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **संविदा के लिए :** 62 वर्ष से अधिक न हो. **शैक्षिक अर्हता :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से स्नातक या समकक्ष डिग्री. **और** **(ii)** आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन और लिप्यंतरण समय (केवल कम्प्यूटर पर) अंग्रेजी के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-11 [ग्रेड वेतन 6,600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत; **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-10 [ग्रेड वेतन 5,400/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-03 (15,600-39,100/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा.
16.	**निजी सहायक**	**आयु :-** 56 वर्ष से अधिक न हो. **शैक्षिक अर्हता :-** **(i)** किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से स्नातक या समकक्ष. **और** **(ii)** आशुलिपि (अंग्रेजी/हिंदी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की डिक्टेशन और लिप्यंतरण समय (केवल कम्प्यूटर पर) अंग्रेजी के लिए 50 मिनट और हिंदी के लिए 65 मिनट.	**(i)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-7 [ग्रेड वेतन 4600/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (9300-34800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर कार्यरत; **या** **(ii)** मूल काडर/विभाग में सीडीए पैटर्न में वेतन स्तर-6 [ग्रेड वेतन 4200/- रुपये सहित पूर्व-संशोधित वेतन बैंड-02 (5200-34800/- रुपये)] में या आईडीए पैटर्न में समकक्ष वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा.

(2) संविदा पर नियुक्ति का प्रारंभिक कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक आगे बढ़ाया जा सकता है/कम भी किया जा सकता है.

(3) प्रतिनियुक्ति की प्रारंभिक अवधि तीन (03) वर्ष होगी, जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अनुमत सीमा तक बढ़ाया जा सकता है.

(4) प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारी/अधिकारियों के लिए निबंधन और शर्तें तथा वेतन/पारिश्रमिक समय-समय पर संशोधित, भारत सरकार/एनएचआईडीसीएल नीति के मौजूदा नियमों के अनुसार अभिशासित होंगे.

(5) संविदा के आधार पर चयन के मामले में, अधिकारियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा :-

पदों के पदनाम	अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन घटाकर प्राप्त राशि में महंगाई भत्ते की प्रचलित दर को जोड़कर	समेकित भत्ता(रुपये प्रति माह)	फील्ड भत्ता (प्रति माह रुपये)	प्रस्तावित किए जाने वाला कुल पारिश्रमिक
	क	ख	ग	घ
महाप्रबंधक	पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ)/अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र (एलपीसी) पर आधारित वास्तविक	48000	12,310	क + ख + ग
उप-महाप्रबंधक		35,000	7,880	
प्रबंधक/प्रधान निजी सचिव		31,000	6,770	
उप-प्रबंधक		27,000	5,310	
सहायक प्रबंधक		19,000	4,700	
कनिष्ठ प्रबंधक/ निजी सहायक		15,000	3,540	

नोट :- पारिश्रमिक, महंगाई भत्ते की प्रचलित दर में परिवर्तन के अध्यधीन होगा.

(6) 01 जुलाई को संविदा आधार पर कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी होने पर एनएचआईडीसीएल में 01 जुलाई को आहरित वेतन के 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन-वृद्धि अगले सौ रुपये के पूर्णांक (राउंड ऑफ) में प्रदान की जाएगी, बशर्ते इस प्रकार से बढ़ाए गए वेतन और पेंशन को मिलाकर प्राप्त राशि संबंधित पद के वेतन स्तर के अधिकतम या 2,24000/- रुपये प्रतिमाह में से, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए.

(7) सेवारत अधिकारियों के मामले में, उनका आवेदन-पत्र मूल कार्यालय/संगठन द्वारा उचित माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रेषित किया जाना चाहिए :-

(i) आवेदित पद हेतु आवेदक की नियुक्ति के लिए मूल विभाग/मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र.

(ii) सतर्कता निर्बाधन, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र तथा अधिकारी पर विगत 10 वर्षों के दौरान लगाई गई शास्तियां, यदि कोई हों, का विवरण. इसे प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् कार्यालय प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए.

(iii) आवेदक की पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की सत्यापित प्रतियां.

(8) संविदा के आधार पर पद के लिए आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में, यदि पेंशन योग्य सेवा की है, तो पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) और पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के संक्षिप्त विवरण को संलग्न/अपलोड किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा.

(9) उन अधिकारियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जो प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर एनएचआई-डीसीएल में सेवारत थे और पिछले दो वर्षों के दौरान एनएचआईडीसीएल में उनकी सेवा को समय-पूर्व समाप्त कर दिया गया या उन्होंने अपनी इच्छा से एनएचआईडीसीएल को छोड़ दिया.

(10) उन अभ्यर्थियों, जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन उन्होंने कार्यग्रहण नहीं किया, उनके आवेदन-पत्रों को अधिमान (प्रेफरेंस) प्रदान नहीं किया जाएगा.

(11) प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद के लिए चयनित अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को एनएचआईडीसीएल में उनकी नियुक्ति की तारीख से 02 वर्ष की अवधि के अंदर संप्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(12) अपूर्ण आवेदनों या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किए गए आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा.

(13) यदि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो केवल उन अभ्यर्थियों के संबंध में चयन के लिए विचार किया जाएगा जो संबंधित क्षेत्र में अर्हता, अनुभव, कार्यकाल और सेवा के स्तर के आधार पर संक्षिप्त सूचीबद्ध (शॉर्ट लिस्टेड) होते हैं.

(14) यह पद पूरे भारत के लिए हैं. अतः केवल वही व्यक्ति आवेदन करें, जो भारत में कहीं भी, विशेषतया पूर्वोत्तर क्षेत्र, लेह/लद्दाख/जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आदि में सेवा करने के इच्छुक हैं.

(15) सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए यह विज्ञापन वापस लिया जा सकता है.

(16) पात्र अभ्यर्थी, जो एनएचआईडीसीएल में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं, एनएचआईडीसीएल की वेबसाइट **www.nhidcl.com** पर उपलब्ध लिंक पर ऑनलाइन तरीके से अपने फोटो, हस्ताक्षर और पिछले 5 वर्षों की वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के संक्षिप्त विवरण सहित अपना आवेदन विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से **15 दिनों के भीतर** जमा कर सकते हैं, उसके पश्चात् यह लिंक समाप्त हो जाएगा.

कर्नल विवेक जैन (सेवानिवृत्त)
उप-महाप्रबंधक (मानव संसाधन)

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा प्रभाग

चतुर्थतल, ब्लॉक-ए, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर 492002 (छ.ग.)
फोन नं.-0771-2221766 एवं नं.-0771-2511549
email-handloomraipur@gmail.com

क्रमांक/हा./वि.म.पु.यो./2024-25/1168 रायपुर, दिनांक 03.09.2024

" स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजनांतर्गत" वर्ष 2023-24 के लिए प्रविष्टियों आमंत्रण हेतु संक्षिप्त विज्ञापन सूचना की अवधि बढ़ाने बाबत्

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग द्वारा प्रदेश के हाथकरघा उद्योग को संरक्षण प्रदान करने तथा कोसा/रेशम हाथकरघा वस्त्र चुनकरों की कल्पनाशीलता, योग्यता, तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से " स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना" की स्थापना की गयी है। " स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजनांतर्गत" वर्ष 2023-24 अंतर्गत 02 बुनकरों को पुरस्कार राशि एक-एक लाख रूपये के मान से कुल राशि रू. 2.00 लाख (अक्षरी राशि रू. दो लाख रूपये मात्र) नगद पुरस्कार तथा प्रतीक चिन्ह शॉल एवं श्रीफल दिया जावेगा। यह पुरस्कार निर्णायक मंडल द्वारा चयनित सर्वश्रेष्ठ दो बुनकरों को दिया जायेगा।

" स्व. श्री बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार योजना" वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के कोसा/रेशम/सूती वस्त्र बुनाई करने वाले युनकरों से आवेदन सहित दिनांक 03.09.2024 सायं 4:00 बजे तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई थी। विज्ञापन क्र. जी-242501480 दिनांक 31.07.2024 के द्वारा विज्ञापन जारी की गई थी उक्त विज्ञापन में निर्धारित तिथि में वृद्धि करते हुए अब दिनांक 18.09.2024 सायं 4:00 बजे तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गई है। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नही किया जावेगा। इस विज्ञापन की विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र प्रारूप सहित www.ruralindustries.cg.gov.in में देखी व डाउनलोड की जा सकती है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(संचालक, ग्रामोद्योग द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
ग्रामोद्योग हाथकरघा
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ111/जी-242502220.5

जीवन को गढ़ते शिक्षक

साय सरकार ने शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों में शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण, नई तकनीकों का प्रशिक्षण, और उनकी मेहनत को सराहने के लिए पुरस्कार शामिल हैं। यह कदम शिक्षा के स्तर को सुधारने और शिक्षकों को उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने में प्रेरित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस शिक्षक दिवस पर, सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 55 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 52 शिक्षक राज्यपाल शिक्षक सम्मान और 3 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर राज्य शिक्षक सम्मान स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

डॉ0 पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार
डॉ. रश्मि सिंह धुर्वे (व्याख्याता) बिलासपुर

बिलासपुर के पाली विद्यालय की व्याख्याता की पद पर कार्यरत रश्मि सिंह धुर्वे अपने नवाचारों से स्कूल को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। मात्र 10 छात्रों के साथ शुरू हुए इस सफर में, रश्मि ने 20 से अधिक नवाचारों को लागू कर शिक्षा में सुधार किया। 11 वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ, उन्होंने स्कूल को एक नई पहचान दी, जिसके लिए उन्हें डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।

डॉ0 बल्देव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार
डॉ. श्रीमती सरिता साहू (उ.व.शि.) दुर्ग

2008 से स्कूल में सेवा दे रही डॉ. सरिता ने दिव्यांग छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग कर उन्हें पढ़ाने में नवाचार किया। उन्होंने लोक कथाओं का ब्रेल में रूपांतरण कर, चित्र और कार्टून की मदद से शिक्षण को रोचक बनाया। उनकी पुस्तक 'ओड़ जाति की लोक कथाएं' हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग में एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम में शामिल है। उनकी चार पुस्तकों का उपयोग कई विश्वविद्यालयों में हो रहा है, जो उनके योगदान को दर्शाता है।

डॉ0 बल्देव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार
श्री राजर्षि पाण्डेय (शिक्षक) कबीरधाम

1995 में शिक्षकीय सफर की शुरुआत करने वाले कबीरधाम के पूर्व माध्यमिक शाला सिंगरपुर के शिक्षक, राजर्षि ने 28 वर्षों में शिक्षा के साथ खेलकूद, पुरातत्व, पर्यावरण और विज्ञान में भी उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. मुकुटधर पांडेय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान भारतीय दार्शनिक, शिक्षक, और राजनेता थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुट्टनी में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा मद्रास और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने दर्शनशास्त्र में अपना करियर शुरू किया और बाद में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्होंने 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनकी मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हुई थी।

उनके कुछ प्रमुख योगदान हैं:

- शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान
- भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका
- राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान
- दार्शनिक विचारों का प्रसार

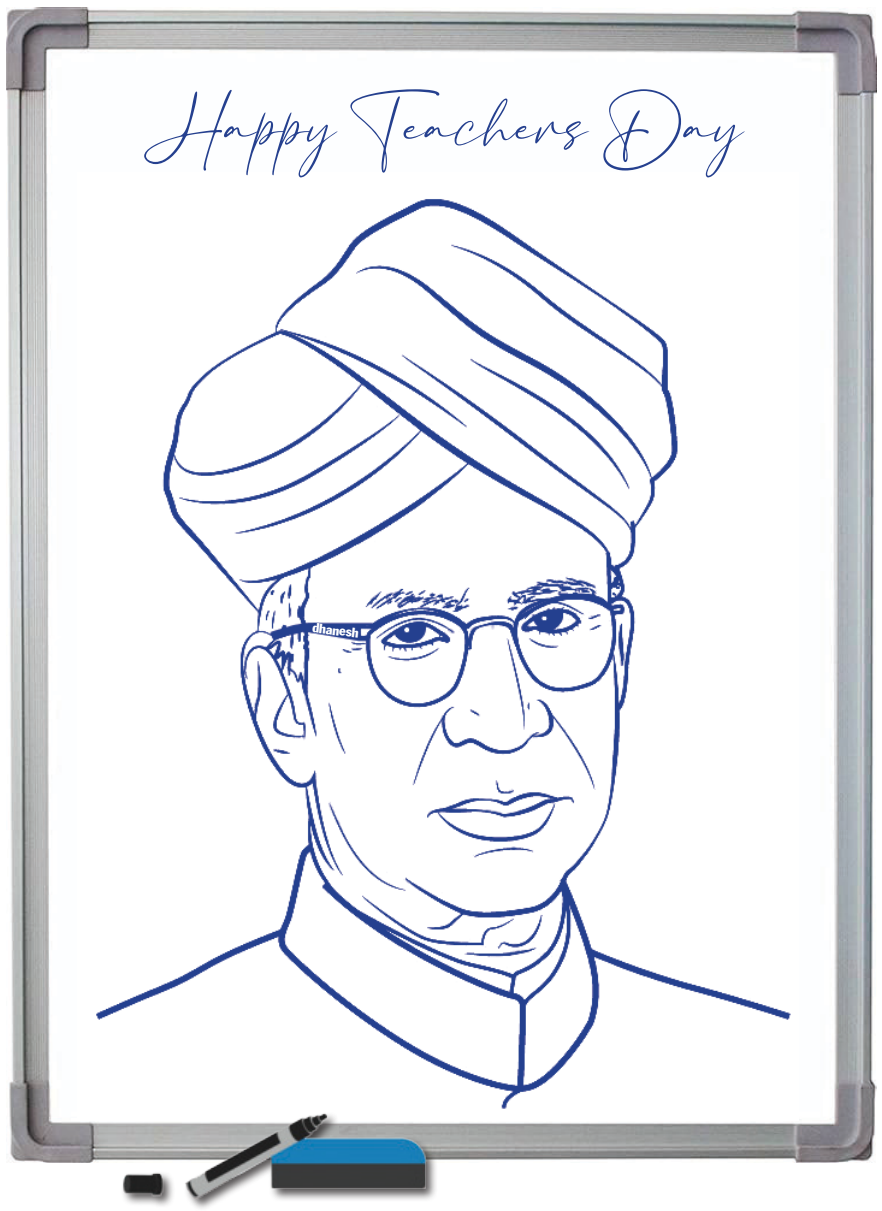

शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार जताने के मकसद हर साल भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यूं तो दुनियाभर में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिन को एक महीने पहले मनाने की एक खास वजह है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन से जुड़ी हुई है।

5 सितंबर को क्यों मनाते हैं भारत में शिक्षक दिवस?
भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की एक खास वजह है और वजह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित है। दरअसल, 5 सितंबर डॉ. राधाकृष्णन के जन्मदिवस की तारीख है और इस दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। 5 सितंबर, 1888 को मद्रास प्रेसीडेंसी में जन्मे डॉ. राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और विद्वान होने के साथ-साथ एक कुशल शिक्षक भी थे। उन्हीं की याद में हर साल भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस Teacher's Day मनाया जाता है।

शिक्षक दिवस का इतिहास
भारत में शिक्षक दिवस का इतिहास 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल से जुड़ा है। उस समय, उनके पूर्व छात्रों ने उनसे 5 सितंबर को एक विशेष तरीके से मनाने का अनुरोध किया था। हालाँकि, इस अनुरोध पर सहमत होने के बजाय, डॉ. राधाकृष्णन ने प्रस्ताव दिया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, जो समाज में शिक्षकों के अमूल्य योगदान को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए समर्पित है।

विश्व शिक्षक दिवस
विश्व शिक्षक दिवस , जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह हमारे भविष्य को आकार देने वाले समर्पित शिक्षकों का जश्न मनाने, उनकी सराहना करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का समय है। यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर शिक्षकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभाओं, सम्मेलनों और चर्चाओं द्वारा चिह्नित है, ताकि उनके पेशे को बढ़ाने के लिए समाधान की तलाश की जा सके।

टीचर्स डे 2024 के लिए थीम
यह दिन अपने शिक्षकों और उनके शिष्यों के बीच के संबंध को महत्व देता है। साथ यह एक मौका है अपने गुरुओं के प्रति अपना आभार और सम्मान व्यक्त करने का। यह दिन टीचर्स के समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है, जो हर बच्चे का भविष्य संवारता है। यह खास दिन हर साल एक स्पेशल थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे में बात करें इस साल की थीम की, तो इस साल टीचर्स डे 2024 के लिए थीम 'शिक्षकों को सतत विकास के लिए सशक्त बनाना' तय की गई है।

राज्यपाल शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023-24

क्र	शिक्षक का नाम	पद नाम	जिला
1	श्रीमती नेहा नाथ	व्याख्याता	दंतेवाडा
2	कु. माधुरी उके	शिक्षक एल.वी.	दंतेवाडा
3	कु. गधु सोनवानी	प्रधान पाठक	सरगुजा
4	श्रीमती नीतु सिंह	व्याख्याता एल.वी.	सरगुजा
5	श्रीमती रीता गिरी	व्याख्याता एल.वी.	सूरजपुर
6	कु. विनिता सिंह	प्रधान पाठक	सूरजपुर
7	धर्मेन्द्र कुमार साहू	व्याख्याता एल.वी.	बालोद
8	डॉ. भरतलाल	व्याख्याता	बालोद
9	श्री टुमनु गोसाई	व्याख्याता एल.बी.	जशपुर
10	अयोध किशोर गुप्ता	व्याख्याता एल.बी.	जशपुर
11	श्रीमती जयमाला	प्रधान अध्यापक	सुकमा
12	श्री हपका मुता	प्रधान अध्यापक	सुकमा
13	श्री नीलवांट कोगरे	सहायक शिक्षक	मोमाअंचौ.
14	श्री अंगद सलामें	सहायक शिक्षक	मोमाअंचौ.
15	श्रीमती रवनिल सिंह	सहायक शिक्षक	जीपीएम.
16	अर्चना सामुएल	शिक्षक एल.बी.	जीपीएम.
17	श्री मानस साहू	व्याख्याता एल.वी.	केसीजी
18	श्री महादीप जंघेल	सहाशिक्षक एल.बी.	केसीजी
19	श्री सेवक राम	व्याख्याता उ.ब.	कांकेर
20	श्री पवन कुमार सेन	व्याख्याता एल.बी.	कांकेर
21	श्रीमती तनुजा	व्याख्याता	कोण्डागांव
22	श्रीमती सरस्वती	उ.श्रे.शि.	कोण्डागांव
23	श्रीमती श्वेता सोनी	सहाशिक्षक एल.वी	कोरिया
24	श्रीमती अर्पणा मिश्र	सहाशिक्षक एल.वी	कोरिया
25	श्री गोकुल दास	व्याख्याता एल.बी	राजनांदगांव
26	श्री जय प्रकाश साहू	व्याख्याता एल.बी.	राजनांदगांव
27	श्रीमती कविता हिरवानी	शिक्षक एल.बी.	नारायणपुर
28	श्रीमती लता मानिकपुरी	व्याख्याता एल.बी.	नारायणपुर
29	श्री दिनेश कुमार चतुर्वेदी	व्याख्याता एल.बी.	जांजगीर-चांपा
30	श्री कामता प्रसाद सिंह	सहा.शि. एल.बी.	जांजगीर-चांपा
31	श्री सुनिता यादव	सहा.शि. एल.बी.	सारंगढ़-बिलाईगढ़
32	श्री पूनम सिंह साहू	व्याख्याता	सारंगढ़-बिलाईगढ़
33	सुश्री हिमकल्याणी	सहा शिक्षक एल.बी.	बेमेतरा
34	श्री भुवन लाल साहू	व्याख्याता एल.बी.	बेमेतरा
35	श्री प्रमोद कुमार	व्यारख्याता	महासमुंद
36	श्री शैलेन्द्र कुमार नायक	व्याख्याता एल.बी.	महासमुंद
37	श्री श्याम कुमार गुप्ता	शिक्षक	बलरामपुर
38	श्री विनोद कुमार पंथ	प्रधान पाठक	बलरामपुर
39	डॉ. श्री सत्य नारायण	शिक्षक एल.बी.	मुंगेली
40	श्री जितेन्द्र गेंदले	प्रधान पाठक	मुंगेली
41	श्री डिगेश्वर कुमार साहू	सहाशिक्षक एल.बी.	गरियाबंद
42	श्री किशोर कुमार	उ.श्रे.शि.	गरियाबंद
43	श्रीमती ज्योति मगर	व्याख्याता एल.बी.	धमतरी
44	डॉ. आशीष नायक	व्याख्याता एल.बी.	धमतरी
45	डॉ. मनीषा त्रिपाठी	प्रधान पाठक	रायगढ़
46	श्री सुशील कुमार गुप्ता	प्रधान पाठक	रायगढ़
47	श्री भुपेन्द्र कुमार राठौर	व्याख्याता	कोरबा
48	श्रीमती वसुंधरा कुर्रे	सहायक शिक्षक	कोरबा
49	श्रीमती मीरा हिरवानी	व्याख्याता	जगदपुर
50	मो. अकबर खान	व्याख्याता	जगदपुर
51	श्री पवन कुमार सिन्हा	प्रधान अध्यापक	बीजापुर
52	श्री ककेम नारायण	शिक्षक एल.बी.	बीजापुर

छत्तीसगढ़ के प्रमुख बांध
जल संसाधन, सिंचाई, और राज्य के विकास की धरोहर

छत्तीसगढ़ के बांधों का ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व उन्हें राज्य की जल संरचना में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। इस साल अब तक हुई वर्षा से छत्तीसगढ़ के बांध और जलाशयों में पर्याप्त जलभराव हो चुका है. अब आगे कम या अनियमित बारिश की स्थिति में किसानों की फसलें खराब नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में किसानों की मांग पर बांधों के गेट खोलकर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। आइए जानते हैं राज्य के बांध कैसे प्रदेश की तरक्की की जीवनरेखा बन चुके हैं

1. तांदुला बांध

- स्थान: बालोद जिला, छत्तीसगढ़
- निर्माण वर्ष: 1910-1921
- नदी: तांदुला नदी (शिवनाथ की उपनदी)
- जलधारण क्षमता: 30.23 करोड़ घन मीटर
- जलग्रहण क्षेत्र: 827.2 वर्ग किमी

बालोद जिले में स्थित तांदुला बांध, तांदुला नदी और सूखा नाला के संगम पर बना है। इसका

निर्माण 1910 में आरंभ हुआ और 1921 में पूरा हुआ। 30.23 करोड़ घन मीटर जलधारण क्षमता वाला यह बांध 827.2 वर्ग किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र का जल संग्रह करता है। तांदुला बांध से दुर्ग और भिलाई नगर निगम को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, जो भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। शिवनाथ नदी की उपनदी होने के नाते, तांदुला नदी छत्तीसगढ़ की महानदी प्रणाली का हिस्सा है।

2. मुर्रुम सिल्ली बांध

- स्थान: धमतरी जिला
- निर्माण वर्ष: 1914-1923
- नदी: सिल्लारी नदी (महानदी की सहायक)
- जलधारण क्षमता: 165,340,000 मी 3
- जलग्रहण क्षेत्र: 161,913,000 मी 3

मुर्रुम सिल्ली बांध, जिसे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध भी कहा जाता है, सिल्लारी नदी पर स्थित

है, जो महानदी की एक सहायक नदी है। यह बांध 1914-1923 के बीच ब्रिटिश काल के दौरान बना और इसे एशिया का पहला साइफन स्पिलवे बांध होने का गौरव प्राप्त है। यह बांध मुख्य रूप से फसलों की सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करता है। इसके अलावा, मुर्रुम सिल्ली बांध राज्य की वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसे देखने के लिए पर्यटक भी आते हैं।

3. दुधावा बांध

- स्थान: धमतरी जिला, छत्तीसगढ़
- निर्माण वर्ष: 1953-1964
- नदी: महानदी
- जलधारण क्षमता: 82.56 मिलियन घन मीटर
- जलग्रहण क्षेत्र: 625.27 वर्ग किमी

दुधावा बांध धमतरी जिले में स्थित है और महानदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में

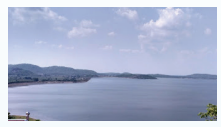

शुरू हुआ और 1964 में पूरा हुआ। बांध की ऊंचाई 24.53 मीटर और लंबाई 2,906.43 मीटर है, और यह 625.27 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से जल का संग्रह करता है। महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के माध्यम से बहने वाली प्रमुख नदी है। दुधावा बांध न केवल सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह धमतरी जिले के आस-पास के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति और बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक है।

4. हसदेव बांगो बांध

- स्थान: कोरबा जिला, छत्तीसगढ़
- निर्माण वर्ष: 1961-1962
- नदी: हसदेव नदी
- जलधारण क्षमता: 3046 मिलियन क्यूबिक मीटर
- जलग्रहण क्षेत्र: 6,730 वर्ग किमी

हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। यह बांध 1961-62 में

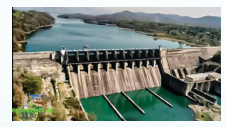

बना और इसे छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देश्यीय जल परियोजना माना जाता है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 6,730 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जलधारण क्षमता 2.89 घन किलोमीटर है। हसदेव बांगो बांध से 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो राज्य के ऊर्जा संसाधनों में महत्वपूर्ण योगदान करता है। हसदेव नदी, जो कोरिया जिले के सोनहत से निकलती है।

5. गंगरेल बांध (रविशंकर सागर)

- स्थान: धमतरी जिला, छत्तीसगढ़
- निर्माण वर्ष: 1970
- नदी: महानदी
- जलधारण क्षमता: 3046 मिलियन क्यूबिक मीटर
- जलग्रहण क्षेत्र: 6,730 वर्ग किमी

गंगरेल बांध, जिसे रविशंकर सागर के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण

बांधों में से एक है। धमतरी जिले में स्थित यह बांध महानदी पर बना हुआ है और इसे राज्य का सबसे लंबा बांध माना जाता है। बांध का निर्माण किसानों को साल में दो बार फसल उगाने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, यह भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए भी जल का प्रमुख स्रोत है और यहां से 10 मेगावाट पनबिजली का उत्पादन भी होता है।

6. खेरकट्टा बांध

- स्थान: कांकेर जिला
- निर्माण वर्ष: 1978
- नदी: कोटरी नदी
- जलधारण क्षमता: 6,550,000 मी 3
- जलग्रहण क्षेत्र: 5,310 एकड़ फीट

खेरकट्टा बांध छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कापसी के पास कोटरी नदी पर स्थित है। यह बांध

जिले का सबसे बड़ा बांध है और इसका नाम समीपस्थ खेरकट्टा गाँव से लिया गया है। बांध के पीछे जो जलाशय बनता है, उसे आधिकारिक तौर पर परलकोट जलाशय कहा जाता है, जो जिले के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करना है, जिससे क्षेत्र के कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

7. कोडार बांध (वीरनारायण सिंह परियोजना)

- स्थान: महासमुंद जिला, छत्तीसगढ़
- निर्माण वर्ष: 1976-1995
- नदी: कोडार नदी
- जलधारण क्षमता: 149 मिलियन घनमीटर
- जलग्रहण क्षेत्र: 149 मिलियन घनमीटर

कोडार बांध, जिसे अब वीरनारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है, महासमुंद

जिले के कौआझार के समीप कोडार नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण 1976-95 के बीच हुआ था और 1998 में इसका नाम वीरनारायण सिंह परियोजना कर दिया गया। 23.32 मीटर ऊँचा और 2,360 मीटर लंबा यह बांध क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराता है। कोडार बांध के पास एक इको-पर्यटन स्थल भी विकसित किया गया है

8. केलो डेम

- स्थान: रायगढ़ जिला,
- निर्माण वर्ष: 2006-2013 (लगभग)
- नदी: केलो नदी
- जलधारण क्षमता: 76.07 मिलियन क्यूबिक मीटर
- जलग्रहण क्षेत्र: 45.84 मिलियन क्यूबिक मीटर

रायगढ़ जिले में केलो नदी पर स्थित केलो डेम, जिले के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

598 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस बांध की कुल सिंचाई क्षमता 57,025 एकड़ है। केलो डेम रायगढ़ शहर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह जिले के 175 गांवों में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करता है। इसके अलावा, यह बांध रायगढ़ शहर में पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए भी जल उपलब्ध कराता है।

भारत के प्रमुख बांध

टिहरी बांध

- स्थिति: उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल जिला, भागीरथी नदी।
- ऊंचाई: 260.5 मीटर (855 फीट), यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में 12वें स्थान पर है।
- स्थापित क्षमता: 2400 मेगावाट, जो इसे भारत की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना बनाता है।
- विशेषता: बांध से कृषि, शहरी जल आपूर्ति और जलविद्युत उत्पादन के लिए जलाशय बनाया गया है।

हीराकुंड बांध

- स्थिति: ओडिशा, संबलपुर, महानदी नदी।
- लंबाई: 55 किमी (34 मील), जो इसे दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध बनाता है।
- महत्व: स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू की गई सबसे पुरानी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसे रामसर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

कल्लनई बांध

- स्थिति: तमिलनाडु, तंजावुर जिला, कावेरी नदी।
- लंबाई: ऊंचाई करीब 5.4 मीटर और लंबाई 1,079 फीट है
- निर्माण काल: 150 ईस्वी में चोल वंश के करिकाला द्वारा।
- महत्व: यह दुनिया की चौथी सबसे पुरानी जल डायवर्सन या जल-नियामक संरचना है जो अभी भी उपयोग में है।

छत्तीसगढ़

मड़ियापार पोला महोत्सव, बैल दौड़ को सीएम ने हरी झण्डी दिखाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के ग्राम मड़ियापर में आयोजित पोला महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि सम्मलित हुए। उन्होंने बैल दौड़ को हरी झण्डी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और शास्त्री नवयुवक मंडल मड़ियापार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति एवं पारम्परिक खेलों का संगम प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने पारम्परिक त्योहारों का सरंक्षण एवं संर्वधन के लिए प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ऐसे आयोजन पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने पोला महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर डोम निर्माण, मड़ियापार में सामुदायिक भवन निर्माण, पोला महोत्सव आयोजन के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तथा ग्राम लिटिया में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की।

छत्तीसगढ़ में रेलपथ का विस्तार

केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुशी व्यक्त की है। इस परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1,360 करोड़ रुपये हैं। इसमें दो नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे की कुल 6,456 करोड़ की तीन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इससे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सात जिलों को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रदेश के रायगढ़ जिले में स्थित भालुमुड़ा से ओड़िशा के सारडेगा तक 37 किलोमीटर नई दोहरी रेल लाइन की मंजूरी दिए जाने से मौजूदा रेल नेटवर्क का विस्तार होगा।

39वां चक्रधर समारोह 07 से 16 सितंबर तक

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित निवास में कलेक्टर रायगढ़ श्री कार्तिकेया गोयल और पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने सौजन्य मुलाकात कर 39वें चक्रधर समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण स्वीकार कर समारोह के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। 39वां चक्रधर समारोह 07 से 16 सितम्बर 2024 तक रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। शुभारंभ समारोह में पद्मश्री हेमा मालिनी नृत्य नाटिका 'राधा रासबिहारी' की प्रस्तुति देंगी और समापन समारोह में डॉ.कुमार विश्वास कविता पाठ करेंगे।

राष्ट्रीय कृमि दिवस पर मुख्यमंत्री ने छात्राओं को कृमि रोधी दवा खिलाकर किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय रायपुर के जे. आर. दानी गर्ल्स स्कूल में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को एलबेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दिवस को अभियान के रूप में चलाने का आव्हान करते हुए कहा कि इससे हमारे बच्चे स्वस्थ्य रहेंगे और देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। राष्ट्रीय कृमि दिवस का महत्व बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृमि संक्रमण एक आम समस्या है जो अनुमानित रूप से 1-19 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। इस संक्रमण के कारण अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती है। अतः इस इस नेशनल डीवार्मिंग डे के अवसर पर बच्चों को अवश्य कृमि की दवा खिलाएं और इस अभियान को जिम्मेदार नागरिक और अभिभावक के तौर पर सफल बनाए।

अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में शुरू होंगे निजी एफएम रेडियो

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस नए एफएम रेडियो स्टेशन के आगमन से स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी मातृभाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिलेगा। यह कदम न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को सशक्त करेगा।

प्राकृतिक आपदा, साय सरकार देगी 15-15 करोड़ रुपए की सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद स्तर पर जन-धन की हानि होने पर संकट की इस घड़ी में दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ रूपए की राशि आपदा राहत कोष से जारी करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विगत कुछ दिनों से त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद स्तर पर जन-धन की हानि की दुःखद खबरें प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं आपदा प्रभावित लोगों के साथ है। छत्तीसगढ़ सरकार इस विपरीत परिस्थिति में दोनों राज्यों की मदद के लिए तत्पर है।

केंद्र की 'देखो अपना देश' अभियान में करें लोग अपनी भागीदारी निभाएं: सीएम

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने लोगों से अपील की है कि वे केंद्र सरकार के 'देखो अपना देश' अभियान में भागीदारी करें। इसमें अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों के लिए वोट दें। छत्तीसगढ़ के अद्वितीय और खूबसूरत स्थलों को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का यह एक सुनहरा अवसर है। वोटिंग के लिए नागरिकों को वेबसाइट https://forms.gle/ ANvrFcQqxg55EkSw7 का उपयोग करना होगा। इस फॉर्म के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ के उन स्थलों के लिए वोट कर सकते हैं, जिन्हें वे राज्य और देश का गौरव मानते हैं। वोट करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। चुने गए गंतव्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से आर्थिक विकास होगा।

राष्ट्रीय

जोधपुर में एफ 16 और राफेल की जुगलबंदी दिखी

भारतीय वायुसेना की मेजबानी में राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहे मल्टीनेशल एयर एक्सारसाइज तरंग शक्ति 2024 के दौरान विमानों ने अभ्यास किया। इस दौरान जोधपुर के आसमान में फाइटर जेट्स गूंजे। एफ-16 और भारतीय वायुसेना के राफेल ने उड़ान क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन कर जुगलबंदी दिखाई। 7 सितंबर को होने वाले तरंग शक्ति 2024 में भारत के अलावा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत 10 देश भाग ले रहे हैं।

जीआईएस सॉफ्टवेयर से टोल प्लाजा की ट्रैकिंग और लाइव मॉनिटरिंग

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात की निबांध आवाजाही के लिए जीआईएस आधारित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी शुरुआत 100 टोल प्लाजा को ट्रैक करने से होगी। निगरानी सेवा को चरणबद्ध तरीके से अधिक टोल प्लाजा तक बढ़ाया जाएगा। यह ऐलान केंद्र सरकार ने किया। टोल प्लाजा पर लाइव मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग प्रणाली देश भर के शुल्क प्लाजा पर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए यातायात के सुगम और परेशानी मुक्त टोलिंग में मदद करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, इन टोल प्लाजा की पहचान 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त भीड़भाड़ फीडबैक के आधार पर की गई है।

किसानों की आय में सुधार करने के लिए 14 हजार करोड़ की सात योजनाएं मंजूर

किसानों की आय में सुधार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 14 हजार करोड़ रु. के 7 योजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, इनमें 2817 करोड़ रुपए का डिजिटल कृषि मिशन और 3979 करोड़ रुपए की फसल विज्ञान योजना शामिल है। फसल विज्ञान में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रम रहेंगे। इससे 2047 तक जलवायु के अनुरूप फसल विज्ञान व खाद्य सुरक्षा प्रोग्राम के लिए 6 पॉइंट बने हैं। डिजिटल कृषि मिशन में एग्री स्टैक कृषि निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी। इनके अलावा, 2,291 करोड़ रुपए कृषि शिक्षा, प्रबंधन व सामाजिक विज्ञापन पर खर्च होंगे।

केंद्र ने 23वें विधि आयोग के गठन को किया अधिसूचित

केंद्र ने 23वें विधि आयोग के गठन को अधिसूचित कर दिया। आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक तीन साल की अवधि के लिए होगा। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पैनल के पदेन सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे।

अब मोबाइल की भी जरूरत नहीं, सिर्फ "स्माइल पे" मुस्कान से पेमेंट

निजी क्षेत्र के ऋणदाता फेडरल बैंक ने 'स्माइल पे' नामक फेशियल पेमेंट सिस्टम शुरू किया है। इससे ग्राहक कैमरे पर केवल मुस्कुराकर पैसों का भुगतान कर सकते हैं। यानी पैसों के लेनदेन के लिए कैश, कार्ड या मोबाइल की भी जरूरत नहीं होगी। रिलायंस रिटेल और अनन्या बिरला की स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस के सहयोग से चुनिंदा शाखाओं और आउटलेट्स पर इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। 'भीम आधार पे' के प्लेटफॉर्म पर आधारित इस सिस्टम में आधार नंबर से लिंक खाते से पैसे निकालने के लिए बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के अनुसार, इसके लिए यूआईडीएआई द्वारा सुरक्षित फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का उपयोग होगा।

देशभर में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह

देशभर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी।

309 किलोमीटर नए रेलमार्ग की घोषणा

इंदौर-मनमाड़ के बीच 309 किलोमीटर नई लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। इसकी घोषणा को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद कर दी गई। यह रेल लाइन मध्यप्रदेश के 4 और महाराष्ट्र के 2 जिलों से होकर गुजरेगी। 30 लाख की आबादी आजादी के बाद पहली बार अपने क्षेत्र में ट्रेन देख सकेगी। मध्य प्रदेश के तीन जिले धार और बड़वानी ट्रेन रूट से पूरी तरह कटे हुए हैं। यह रूट आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे के पेरैलल कुछ दूरी से घुमाकर निकाला जाएगा। प्रोजेक्ट पर कुल 18,036 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2029 की डेडलाइन तय की है। प्रोजेक्ट पूरा होने पर 26 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। नए प्रोजेक्ट के तहत 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे।

पद्म अलंकरण के लिए 15 तक होगा नामांकन

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया है कि 2025 के पद्म अलंकरणों के लिए 15 सितंबर तक नामांकन और सिफारिश की जा सकती है। नागरिक खुद के नामांकन सहित दूसरों के नाम की सिफारिश ऑनलाइन कर सकते हैं। 1954 में स्थापित पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर होती है।

राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र में विश्वशांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उदगीर लातूर जिले में विश्वशांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की और डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास अठावले और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। यह बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। 15 हेक्टेयर तक फैले इस बुद्ध विहार में एक ध्यान केंद्र है जिसमें 1,200 अनुयायी रह सकते हैं। बिहार के साँची स्तूप से प्रेरित होकर इसके मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय

नासा की बड़ी खोज, मंगल ग्रह की सतह के नीचे मिला पानी का भंडार

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने मंगल ग्रह (Mars planet) की सतह के नीच पानी का अकूत भंडार खोज लिया है। ये इतना है कि इससे एक सागर भर जाए। सतह के कई किलोमीटर नीचे पत्थरों में दरारें हैं। इन दरारों के बीच इतना तरल पानी है कि उन्हें एकत्र करने पर एक सागर बन जाए। नासा ने यह गणना इनसाइट लैंडर से मिले आंकड़ों से की है। मंगल ग्रह की सतह से 11.5 से 20 किलोमीटर की गहराई में भारी मात्रा में पानी मौजूद है, जिसमें छोटे सूक्ष्मजीवों के होने की भी संभावना है। सैन डिएगो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशैनोग्राफी के प्लैनेटरी साइंटिस्ट वाशन राइट और उनकी टीम ने यह अध्ययन किया है।

दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर मिला

पुरातत्वविदों ने दक्षिणी तुर्की के एक प्राचीन स्थल गोबेकली टेपे में एक महत्वपूर्ण खोज की है। यह स्थल, जो लगभग 13,000 साल पुराना है, अब माना जाता है कि यहाँ दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है। गोबेकली टेपे, जिसे अक्सर दुनिया का पहला मंदिर कहा जाता है, में बड़े पत्थर के खंभों की एक श्रृंखला है, जो अलंकृत नक्काशी से सुसज्जित है। ये नक्काशी शोधकर्ताओं को लंबे समय से हैरान करती रही है, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि वे एक प्राचीन समय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के मार्टिन स्वेटमैन ने कहा कि यह सौर कैलेंडर माना जाता है। स्तंभों पर नक्काशी में वी-आकार के प्रतीकों की एक श्रृंखला शामिल है, जिनमें से प्रत्येक एक दिन का प्रतिनिधित्व करता है। इन प्रतीकों की गिनती करके, शोधकर्ताओं ने 365 दिनों के कैलेंडर की पहचान की, जिसे 12 चंद्र महीनों में विभाजित किया गया था और 11 दिन अतिरिक्त थे।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत नियुक्त पी. हरीश

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक पी. हरीश को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वह रुचिरा कंबोज की जगह लेंगे, कंबोज जून में सेवानिवृत्त हो गई थीं। हरीश वर्ष 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और जर्मनी 5 में भारत के राजदूत के रूप में पदस्थ हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वह जल्द ही न्यूयॉर्क में अपना कार्यभार संभालेंगे। हरीश इससे पहले विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (आर्थिक संबंध) रह चुके 5 हैं। इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्रालय के आर्थिक कूटनीति - विभाग का नेतृत्व किया था।

जाफना में नल्लूर कंडासामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव आरंभ

श्रीलंका के जाफना में ऐतिहासिक नल्लूर कंडासामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव आरंभ हो गया है। हजारों श्रद्धालु इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। मुख्य आयोजन देर थिरूविजा संपन्न हुआ जिसमें श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान मुरूगन की प्रतिमा के साथ सुसज्जित रथ को खींचा। यह रथ शहर के विभिन्न भागों से होकर गुजरेगा। देश-विदेश के हजारों श्रद्धालु इस उत्सव के लिए युद्ध और विजय के देव मुरूगन को समर्पित मंदिर में एकत्र हुए हैं। वार्षिक रथ महोत्सव 25 दिन तक चलेगा, इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाएंगे।

ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया

ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने देश में एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह आदेश अरबपति एलन मस्क द्वारा देश में एक कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने से इनकार करने के बाद दिया गया। न्यायमूर्ति अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने एक प्रतिनिधि का नाम बताने के आदेश का पालन करने में विफल रहने पर मस्क को एक्स प्लेटफॉर्म को ब्राजील में ब्लॉक करने की चेतावनी दी थी। इसके लिए 24 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई थी। प्रतिबंध के बारे में एलन मस्क ने ब्राजील के न्यायाधीश पर देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त करने का आरोप लगाया।

नेपाल पर्यटन बोर्ड को पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन को स्वर्ण पुरस्कार

नेपाल पर्यटन बोर्ड को पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन – (पाटा) को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार जीविका सुधार परियोजना के लिए टिकाऊ पर्यटन श्रेणी में दिया गया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड को तीसरी बार यह पुरस्कार मिला है। इसके अतिरिक्त नेपाल के सभी सात प्रांतो में टिकाऊ पर्यटन को बढावा देने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के सिलसिले में यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2022 और 2023 में भी नेपाल पर्यटन बोर्ड को यह पुरस्कार मिल चुका है। वर्ष 2024 में केरल पर्यटन को डिजीटल मार्केटिंग श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड मिल चुका है। पुरस्कार पाने वालो को थाईलैंड की राजधानी बैंकांक में 28 अगस्त को यह पुरस्कार प्रस्तुत किए गए।

17 वां भारत-इज़राइल विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित

17वां भारत-इज़राइल विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया और इजरायली पक्ष का नेतृत्व इजरायली विदेश मंत्रालय के महानिदेशक याकोव ब्लिटस्टीन ने किया। भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी की ताकत को दर्शाते हुए, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय प्रयासों के संपूर्ण पहलू की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक में मौजूदा स्थिति पर भी विचार साझा किए। इज़राइल पर गत वर्ष 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों की भारत ने कड़ी निंदा की। विदेश सचिव ने सभी बंधकों की बिना शर्त और तत्काल रिहाई, युद्धविराम, निरंतर मानवीय सहायता की आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते हालात पर भारत की चिंता भी साझा की और संयम, बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ वार्ता की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदर सेरी बेगवान में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मिलकर काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि उनके बीच व्यापक बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि भारत और ब्रुनेई व्यापार, वाणिज्यिक संबंधों और लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

खेल / कला

नितेश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण-पदक जीता

पेरिस पैरालिंपिक में नितेश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स के एसएल-3 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में उन्होंने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर स्वर्ण जीता। इससे पहले योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो एफ-56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। पहले ही प्रयास में 42 दशमलव दो-दो मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर उन्होंने सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता। पुरुष सिंगल्स के एसएल-4 श्रेणी के फाइनल में सुहास यतिराज का सामना फ्रांस के लुकास मजूर से होगा। वहीं, पुरुष सिंगल्स के एसएल-4 श्रेणी के कांस्य पदक मुकाबले में सुकांत कदम अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स बैडमिंटन की एसयू5 फाइनल स्पर्धा में तुलसीमथी मुरुगेसन का सामना चीन की यांग शू जिया से होगा। तीरंदाजी और भालाफेंक में भी पदक के लिए भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे।

27वें ऑल इंडिया फारेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2024 की चयन प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ

27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता का शुभारंभ कोटा स्टेडियम में किया गया। पूरे प्रदेश के 6 वन वृत्तों से आये लगभग 500 खिलाड़ियों को वन बल प्रमुख द्वारा शपथ दिलायी गयी। वन वृत्त बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, सरगुजा, रायपुर से आये खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समस्त खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 20 अक्टूबर 2024 को रायपुर में होना सुनिश्चित है जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। उक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विविध खेलों हेतु राज्य स्तरीय टीम का चयन दिनांक 29 से 31 अगस्त 2024 के मध्य प्रतियोगिताएं आयोजित कर किया जा रहा है।

17 साल की आर्चर शीतल ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत की 17 साल की तीरंदाज शीतल देवी ने अपने पैरालिंपिक अभियान का आगाज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर किया। उन्होंने रैंकिंग राउंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड से 5 अंक ज्यादा 703 अंक अर्जित किए। हालांकि, वह पहले स्थान से महज एक अंक से चूक गईं। तुर्किए की ओजनुर गिर्दी ने 720 में से 704 पॉइंट हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। शीतल ने एलिमिनेशन राउंड के लिए दूसरी सीड पाई। वहीं, एक अन्य भारतीय तीरंदाज सरिता ने 682 पॉइंट के साथ 9वें स्थान पर रहकर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। वहीं, बैडमिंटन मिक्स्ड डबल्स के पहले ग्रुप मैच में नीतीश कुमार मुरुगेसन थुलासीमाथी ने हमवतन सुहास यथिराज-पलक कोहली को 21-14, 21-17 से हराया। सिंगल्स की इंडियन बैटल में नीतीश कुमार ने मनोज सरकार को 13-21, 21-18, 21-18 से हराया। महिला ताइक्वांडो में भारत की अरुणा को राउंड ऑफ- 16 में हार मिली।

योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस-थ्रो एफ-56 स्पर्धा में जीता रजत-पदक

पेरिस पैरालिंपिक में योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो एफ-56 स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। अपने पहले ही प्रयास में 42 दशमलव दो-दो मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर उन्होंने सीजन में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ लगातार दूसरा पैरालंपिक रजत पदक जीता। पैरा-बैडमिंटन खिलाडी नितेश कुमार और ब्रिटेन के डेनियल बेथेल के बीच पुरुष सिंगल्स के एसएल-3 श्रेणी का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। पुरुष सिंगल्स के एसएल-4 श्रेणी के फाइनल में सुहास यतिराज का सामना फ्रांस के लुकास मजूर से होगा। वहीं, पुरुष सिंगल्स के एसएल-4 श्रेणी के कांस्य पदक मुकाबले में सुकांत कदम अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत ने एक स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य के साथ अब तक कुल आठ पदक जीतें हैं।

अवनी लगातार दूसरा गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला

अवनि लेखरा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग स्पर्धा में अपने एसएच1 खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की और पैरालंपिक खेलों के इतिहास में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। राजस्थान के जयपुर में 8 नवंबर 2001 को जन्मी अवनि लेखरा भारत की सबसे प्रेरणादायी एथलीटों में से एक बनकर उभरी हैं। अडिग हौसले और दृढ़ संकल्प से भरी उनकी यात्रा 2012 में जीवन बदल देने वाली एक सड़क दुर्घटना, जिसके कारण उन्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, के बाद शुरू हुई। कठिन शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों के बावजूद, अवनि के पिता ने उनके स्वस्थ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें अपने शारीरिक एवं मानसिक पुनर्वास के साधन के रूप में खेलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पैरालंपिक 2024 में, अवनि ने 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट के रूप में इतिहास रचा! उनका समर्पण भारत को निरंतर गौरवान्वित करता रहता है।

अनुया प्रसाद ने दूसरी बार जीता महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक

भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर में दूसरी विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को शून्य दशमलव एक प्वाइंट से हराया। वहीं 18 वर्षीय मोहम्मद मुर्तुजा वानिया ने भी नताशा जोशी के साथ 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते। धनुष श्रीकांत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण, शौर्य सैनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में रजत, माहित संधू ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत और नताशा जोशी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता।

02 सितम्बर, 2024

विष्णु भैया संग तीजा-पोरा महतारी वंदन तिहार

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

राज्य के 70 लाख महतारी-बहिनी के खाता म पहुँचिस

विष्णु भइया डहर ले तीजा के 1000 रूपिया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी

की जयंती पर सादर नमन

राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान
के लिए सभी शिक्षकों को

शिक्षक दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएँ

छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

- **आदिवासी बच्चों के लिए रोबोटिक्स और एआई शिक्षा:** नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में कौशल शिक्षा को एकीकृत करने की शुरुआत
- **नई शिक्षा नीति लागू:** छत्तीसगढ़ में अब एकाधिक प्रवेश और निकास की सुविधा, युवाओं को उच्च शिक्षा में मिलेगी सुविधा
- **उच्च शिक्षा के लिए ऋण सुविधा:** माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
- **स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षा:** 18 स्थानीय बोली-भाषाओं में प्रारंभिक शिक्षा, आदिवासियों को उनकी भाषा में शिक्षा
- **नक्सल क्षेत्रों में शिक्षा का उजियारा:** वर्षों से बंद पड़े 29 स्कूल फिर से संचालित
- **पीएम श्री योजना:** प्रदेश के 211 स्कूलों में योजना का शुभारंभ, 52 और स्वीकृत, बच्चों के लिए आईसीटी, डिजिटल क्लास रूम व हाइटेक लाइब्रेरी
- **हाइटेक लाइब्रेरी निर्माण:** रायपुर के नालंदा परिसर की तरह अन्य नगरीय निकायों में हाइटेक लाइब्रेरी निर्माण
- **न्योता भोज व शिक्षक-पालक मीटिंग:** सरकारी स्कूलों में सामूहिक सहभागिता से न्योता भोज और निरंतर शिक्षक-पालक मीटिंग की अभिनव पहल

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए QR CODE स्कैन करें

हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

मयंक श्रीवास्तव - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. मिशन मिडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन रजबंधा मैदान, रायपुर, छत्तीसगढ़ से मुद्रित छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो